इसे वेबसाइट**www.govtpress.mp.gov.in**
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 34] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 22 अगस्त 2025—श्रावण 31, शक 1947

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम विनियम
मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम् तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, ई—5, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2025

क्र.1642—मप्रविनिआ—2025—विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 14,15,16,17,18 तथा 19 सहपठित धारा 181 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी समस्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग, एतद्द्वारा, वितरण अनुज्ञप्ति की प्राप्ति हेतु वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने के लिए आवेदन, कर्तव्यों और निबंधन तथा शर्तें एवं वितरण अनुज्ञप्ति हेतु अनुसरण की जाने संबंधी प्रक्रिया के बारे में योग्यता मानदण्ड निर्दिष्ट किये जाने हेतु निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबन्धन एवं शर्तें तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए) संबंधी अन्य मामले} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2025 {आरजी–12(I), वर्ष 2025}

अध्याय 1 : प्रारंभिक (Preliminary)

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ (Short Title and Commencement)

1.1 ये विनियम **"मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबन्धन एवं शर्तें तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को सम्मिलित करते हुए) संबंधी अन्य मामले} (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2025 {आरजी–12(I), वर्ष 2025}"** कहलायेंगे।

1.2 ये विनियम मध्यप्रदेश राज्य में क्रियाशील वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (समझे गये अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित करते हुए) को लागू होंगे।

1.3 ये विनियम मध्यप्रदेश के "राजपत्र" में इनकी प्रकाशन तिथि से प्रभावशील होंगे।

2. परिभाषाएं (Definitions)

इन विनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, प्रयोग में लाये गये शब्दों, शब्दावलियों एवं अभिव्यक्तियां, यदि इन्हें इन विनियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, का अर्थ वही होगा जैसा कि अधिनियम में इनके लिये निर्दिष्ट हैं :

क) **"अधिनियम (Act)"** से अभिप्रेत है, विद्युत् अधिनियम, 2003 (क्रमांक 36, वर्ष 2003} ;

(ख) **"अनुबंध (Agreement)"** से अभिप्रेत है, तथा सम्मिलित है कोई अनुबन्ध या करार (agreement), संविदा (contract), समझौता ज्ञापन

(Memorandum of Understanding), या फिर अन्य कोई प्रतिज्ञा–पत्र/प्रसंविदा (covenant) तथा जिसका संबंध विद्युत के वितरण से संबंधित किसी पहलू से है जिसका निष्पादन वितरण अनुज्ञप्तिधारी तथा यथास्थिति विद्युत उत्पादन कम्पनी या पारेषण कम्पनी या अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं के मध्य किया जाता है ;

(ग) **"वार्षिक लेखे (Annual Accounts)"** से अभिप्रेत है समय– समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) के उपबन्धों के अनुसार और/या ऐसी अन्य रीति में वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee) द्वारा तैयार किये गये लेखे जैसा कि अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम (MP Act) के संबंध में आयोग द्वारा निर्देशित किया जाए ;

(घ) **"आवेदक (Applicant)"** से अभिप्रेत है, कोई व्यक्ति जिसके द्वारा विद्युत के वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या याचिका प्रस्तुत की गई है ;

(ङ) **आवेदन (Application)"** से अभिप्रेत है, विद्युत के वितरण हेतु यथास्थिति अनुज्ञप्ति प्रदान करने या संशोधन या नवीनीकरण या प्रतिसंहरण/निरसन (revocation) करने हेतु प्रस्तुत आवेदन/याचिका तथा इसमें ऐसे आवेदन से संबंधित अनुलग्नक (annexures) संलग्नक, (enclosures) सम्मिलित हैं ;

(च) **"विद्युत प्रदाय का क्षेत्र (Area of Supply)"** से अभिप्रेत है इन विनियमों के **अनुलग्नक–2** में निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र जिसके भीतर विनियमों द्वारा प्राधिकृत कोई क्रियाकलाप/गतिविधि (activity) को अनुमति प्रदान की जाती है ;

व्याख्या : इस विनियम के प्रयोजन से एतद् द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिनियम की धारा 14 के षष्टम परन्तुक के अनुसार समान क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत वितरण हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करने के प्रयोजन हेतु सम्पूर्ण क्षेत्र जिसमें नगरपालिक निगम क्षेत्र, जैसा कि इसे संविधान के अनुच्छेद 243Q में परिभाषित किया गया है या तीन आसन्न (adjoining) राजस्व जिले या अपेक्षाकृत छोटा क्षेत्र जैसा कि इसे समुचित शासन द्वारा अधिसूचित किया जाए, विद्युत प्रदाय/आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा ;

(छ) **"अंकेक्षकों (Auditors)"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee) के अंकेक्षक / सम्परीक्षक / लेखा–परीक्षक (auditors) तथा यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी कोई कम्पनी हो तो समय–समय पर यथासंशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18, वर्ष 2013) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि की आवश्यकताओं के अनुसार पद धारित करने वाले अंकेक्षक / सम्परीक्षक / लेखा–परीक्षक ;

(ज) **"प्राधिकृत (Authorised)"** से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति कारोबार (business) या गतिविधि / क्रियाकलाप (activity) के संबंध में अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्रदान की गई या अधिनियम की धारा 14 के तृतीय, पंचम, सप्तम तथा अष्टम परन्तुक के अधीन प्रदत्त समझी गई या फिर अधिनियम की धारा 13 के अधीन प्रदान की गई छूट के अधीन अनुज्ञप्ति द्वारा प्राधिकृत की गई ;

(झ) **"केन्द्रीय आयोग (Central Commission)"** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग ;

(ञ) **"आयोग (Commission)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ;

(ट) **"कारबार का संचालन विनियम(Conduct of Business Regulations)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथा पुनरीक्षित एवं संशोधित प्रयोज्य मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 ;

(ठ) **"उपभोक्ता (Consumer)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा (15) में परिभाषित किया गया है ;

(ड) **"समझा गया अनुज्ञप्तिधारी (Deemed Licensee)"** से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति जिसे अधिनियम की धारा 14 के कतिपय प्रावधानों के अधीन विद्युत के वितरण हेतु एक अनुज्ञप्तिधारी समझा गया हो ;

(ढ) **"वितरण (Distribution)"** से अभिप्रेत है किसी विद्युत प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं को विद्युत का पारेषण (conveyance) ;

(ण) **"वितरण कारोबार / व्यवसाय (Distribution Business)"** से अभिप्रेत है विद्युत प्रदाय के क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी का विद्युत वितरण से संबंधित कारोबार / व्यवसाय ;

(त) **"वितरण संहिता (Distribution Code)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथा पुनरीक्षित तथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024 ;

(थ) **"वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा 17 में परिभाषित किया गया है ;

(द) **"वितरण प्रणाली (Distribution System)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा 19 में परिभाषित किया गया है;

(ध) **"वितरण प्रणाली परिचालन मानक (Distribution System Operating Standards)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024 के अधीन उपबन्धों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी के उसकी वितरण प्रणाली संबंधी परिचालन से संबंधित मानक जो समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2023, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता 2024, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु संरचना) विनियम 2024 के उपबन्धों की सुसंगत रीति के अनुरूप प्रयोज्य होंगे।

(न) **"वितरण प्रणाली नियोजन एवं सुरक्षा मानक (Distribution System Planning and Security Standards)"** से अभिप्रेत है समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024 संबंधी वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी की प्रणाली के नियोजन तथा सुरक्षा की पर्याप्तता से संबंधित मानक जो समस्त प्रयोज्य विनियमों तथा विशेषतया समय–समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियम 2023, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता 2024, मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता हेतु संरचना) विनियम 2024 के उपबन्धों की सुसंगत रीति के अनुरूप प्रयोज्य होंगे।

(य) **"वित्तीय विवरण पत्र (Financial Statement)"** से अभिप्रेत है, समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम, 2024 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु अनुज्ञप्त कारोबार के लिये लेखा विवरण, जिसके अन्तर्गत लाभ तथा हानि लेखा, तुलन–पत्र,

संसाधनों का विवरण–पत्र एवं अतिरिक्त प्रकटीकरण मय उसकी टीप के और ऐसे विवरण समाहित होंगे जैसा कि आयोग द्वारा चाहे जाएं जो राजस्व, लागत, परिसम्पत्ति/आस्ति, आरक्षित निधि (reserve) या प्रावधान संबंधी विवरण को प्रकट करेंगे जिसे अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) से किसी अन्य व्यवसाय को प्रभारित किया गया है अथवा विपरीतात्मक जो अनुज्ञप्त कारोबार से किसी अन्य कारोबार पर प्रभारित हो या उस प्रभार के आधार के विवरण के साथ प्रभारित किया गया हो या फिर संविभाजन (apportionment) या आवंटन के आधार पर एक विवरण के साथ अनुज्ञप्त कारोबार और अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य कारोबार के मध्य संविभाजन या आवंटन द्वारा अवधारित किया गया हो।

वित्तीय विवरण–पत्र द्वारा पृथक से उपरोक्त उल्लेखित अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) तथा अन्य कारोबार(ों) (Business(es) में आवश्यक लाभों को दर्शाया जाएगा जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी को आयोग के अनुमोदन अनुसार नियोजित किया गया है ;

(र) **"वित्तीय वर्ष (Financial Year)"** या **"वर्ष (Year)** से अभिप्रेत है बारह माह की अवधि जो एक अप्रैल से प्रारंभ होकर आगामी वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है ;

(ल) **"विशेष आकस्मिक परिस्थिति (Force Majeure)"** इन विनियमों के प्रयोजन से किसी विशेष आकस्मिक परिस्थिति से तात्पर्य घटनाओं या परिस्थितियों या परिस्थितियों के संयोजन से है जिनमें नीचे दर्शाई गई परिस्थितियां शामिल हैं जिनके कारण किसी घटना के फलस्वरूप विद्युत की आपूर्ति से संबंधित सुसंबद्ध विधियों या विनियमों का उल्लंघन हो जाना सन्निहित हो तथा इन्हें टाला भी न जा सकता हो, भले ही वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा युक्तियुक्त सावधानी बरती गई हो या उसके द्वारा युक्तियुक्त उपयोगिता संव्यवहारों को अपनाया गया हो :

क. दैवी–घटना जिनमें शामिल हैं तड़ित, सूखा, अग्निकाण्ड तथा विस्फोट, भूकम्प, ज्वालामुखी उद्भेद, भूस्खलन, बाढ़, चक्रवात, प्रचण्ड तूफान, भूगर्भीय विस्मयकारी घटनाएं या फिर अपवादस्वरूप विपरीत मौसमी परिस्थितियां जो पिछले सौ वर्षों के सांख्यिकी आंकड़ों से अधिक हों ; अथवा

ख. युद्ध की कोई घटना, हमला, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी शत्रु की कार्रवाई, नाकाबन्दी, नौका–अवरोध, क्रान्ति, दंगा, विद्रोह या कोई सैनिक कार्रवाई ; अथवा

ग. व्यापक औद्योगिक हड़तालों तथा श्रमिक अशान्ति की घटनाएं जिनका भारत में व्यापक तौर पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो।

(व) **"सामान्य शर्तें (General Conditions)"** से अभिप्रेत है, इन विनियमों में विहित विद्युत के वितरण की सामान्य शर्तें ;

(श) **"ग्रिड संहिता (Grid Code)"** से अभिप्रेत है आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 86(1)(ज) के अधीन निर्दिष्ट मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (MP Electricity Grid Code-MPEGC) तथा इसमें सम्मिलित है समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (IEGC) ;

(ष) **"नियन्त्रक कम्पनी (Holding Company)"** इन नियमों के प्रयोजन से कोई भी कम्पनी केवल किसी अन्य कम्पनी की नियन्त्रक कम्पनी (Holding Company) समझी जाएगी जब वह उसकी सहायक कम्पनी (subsidiary) हो जैसा कि इसे यहां परिभाषित किया गया है/इस का अर्थ वही होगा जैसा कि इसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(46) में इस हेतु परिभाषित किया गया है ;

(स) **"अनुज्ञप्त कारोबार/व्यवसाय (Licensed Business)"** से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में विद्युत वितरण अनुज्ञप्ति के अधीन प्राधिकृत विद्युत वितरण का कारोबार/व्यवसाय ;

(ह) **"मध्यप्रदेश अधिनियम (M.P. Act)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 (क्रमांक 4, वर्ष 2001) ;

(क्ष) **"अधिकारी (Officer)"** से अभिप्रेत है आयोग का कोई अधिकारी ;

(त्र) **"निर्बाध (खुली) पहुंच (Open Access)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे अधिनियम की धारा 2 की उप–धारा(47) में परिभाषित किया गया है ;

(ज्ञ) **"परिचालन नियंत्रण (Operational Control)"** से अभिप्रेत है परिचालन से संबंधित निर्णय, जैसे कि इकाइयों, सेवा तन्तुपथों तथा उपकरणों को क्रियाशील करने (Commissioning) तथा उपयोग करने (Utilization) हेतु प्राधिकार धारित करना ;

(कक) **"अन्य कारोबार/व्यवसाय (Other Business)"** से अभिप्रेत है अनुज्ञप्त कारोबार/व्यवसाय को छोड़कर अनुज्ञप्तिधारी का कारोबार/व्यवसाय ;

(गग) **"समग्र अनुपालन मानक (Overall Performance Standards)"** से अभिप्रेत है समय--समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम 2012 के अधीन आयोग द्वारा यथानिर्दिष्ट समग्र अनुपालन मानक (Overall Performance Standards);

(खख) **"व्यक्ति (Person)"** के अंतर्गत किसी कम्पनी (Company) या निगमित निकाय (body corporate) या संस्था/संगठन (association) या व्यक्तियों के निकाय (body of individuals) को सम्मिलित किया जाएगा भले ही वह निगमित (incorporated) हो या फिर न भी हो या फिर कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति (artificial judicial Person) हो ;

(घघ) **"खुदरा प्रदाय/आपूर्ति (Retail Supply)"** से अभिप्रेत है वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उसके प्रदाय क्षेत्र में किसी उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय /आपूर्ति तथा शब्दों "खुदरा प्रदायक/आपूर्तिकर्ता (Retail Supplier)" तथा "खुदरा प्रदाय/आपूर्ति कारोबार/व्यवसाय (Retail Supply Business)" का अर्थ उक्त संदर्भ में तद्नुसार लगाया जाएगा ;

(ङङ) **"प्राप्तिकर्ता अधिकारी (Receiving Officer)"** से अभिप्रेत किसी अधिकारी से है जिसे आयोग द्वारा याचिकाओं की प्राप्ति के प्रयोजन से नामांकित किया गया हो ;

(चच) **"अनुपालन के मानदण्ड (Standards of Performance)"** से अभिप्रेत है विद्युत वितरण (Distribution of Electicity) से संबंधित अनुपालन के मानदण्ड जैसा कि वे समय–समय पर संशोधित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम 2012 के अधीन आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं ;

(छछ) **"राज्य सरकार/शासन (State Government)"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ;

(जज) **"सहायक कम्पनी (Subsidiary)"** का वही अर्थ होगा जैसा कि इसे कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 2(87) में इस हेतु दिया गया है;

(झझ) **"प्रदाय/आपूर्ति (Supply)"** से अभिप्रेत है विद्युत प्रदाय/आपूर्ति तथा शब्द प्रदायक/आपूर्तिकर्ता (Supplier) का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा।

(ञञ) **"अन्तरण (Transfer)"** में विक्रय (Sale), विनिमय (Exchange), उपहार /भेंट (Gift), पट्टे (Lease), अनुज्ञप्ति (License), ऋण (Loan),

प्रतिभूतिकरण (Securitization), बंधक/गिरवी (Mortage), भार (Charge), बंधक/धरोहर (Pledge) या किसी अन्य ऋणभार (encumbrance) के अनुदान (Grant) को या फिर अन्यथा किसी ऋणभार (encumbrance) को अनुज्ञेय करने हेतु भरण–पोषण (Subsist) या भौतिक आधिपत्य (Physical possession) से विलग होने या अन्य किसी व्ययन (Disposition) या संव्यवहार (Dealing) को सम्मिलित किया जाएगा ;

(टट) **"प्रणाली का उपयोग (Use of System)"** से अभिप्रेत है इन विनियमों के विनियम 27.5 के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा विद्युत के वितरण हेतु वितरण प्रणाली का उपयोग ; और

(ठठ) **"उपयोगकर्ता (User)"** से अभिप्रेत है, कोई भी व्यक्ति जो विद्युत उत्पादकों (Generators), व्यापारियों (Traders), पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों (Transmission Licensees), निर्बाध (खुली) पहुंच ग्राहकों (Open Access Customers) तथा उपभोक्ताओं (Consumers) को सम्मिलित करते हुए वितरण कारोबार/व्यवसाय की परिसम्पत्तियों/आस्तियों का उपयोग करता हो।

अध्याय 2 : अनुज्ञप्ति प्रदान करने की प्रक्रिया (Procedure for Grant of Licence)

3. आयोग के समक्ष कार्रवाई (Proceedings before the Commission)

इन विनियमों के अधीन आयोग के समक्ष समस्त कार्रवाई समय–समय पर यथासंशोधित कारबार का संचालन विनियमों द्वारा संचालित की जाएगी।

4. अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु योग्यता (Eligibility for Grant of Licence)

4.1 कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का इच्छुक हो, को भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित "विद्युत वितरण अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, साख पात्रता और आचरण संहिता की अतिरिक्त अपेक्षाएं) नियम, 2005 {Distribution of Electricity Licence (Additional Requirement of Capital Adequacy, Credit Worthiness and Code of Conduct Rules, 2005}" के माध्यम से पूंजी पर्याप्तता (Capital Adequacy), साख पात्रता (Credit Worthiness) तथा अन्य शर्तों का परिपालन करना होगा।

4.2 पूंजी पर्याप्तता तथा साख पात्रता की अपेक्षाएं (Requirements of Capital Adequacy and Credit Worthiness)

एक. अधिनियम की धारा 15 की उप–धारा (1) के अधीन विद्युत वितरण के लिये अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्राप्त होने पर आयोग अधिनियम की धारा 43 के अनुसार उक्त क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय/आपूर्ति के क्षेत्र के आकार तथा आपूर्ति के दायित्व को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक की सुनवाई पश्चात वितरण तन्त्र (distribution network) हेतु पूंजीगत निवेश (capital investment) की आवश्यकता के बारे में निर्णय लेगा।

दो. अनुज्ञप्ति के प्रदाय हेतु आवेदक द्वारा आयोग की इस पहलू के बारे में तुष्टि करनी होगी कि उपरोक्त विनियम 4.2(एक) के अधीन पूंजी निवेश पर 30 प्रतिशत के मानदण्ड पर वह, प्रवर्तकों (promoters) को सम्मिलित करते हुए, यदि आवेदक एक कम्पनी है तो वह उसके अन्य वचनबद्ध पूंजीनिवेशों (committed investments) को छोड़कर, पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रवर्तकों को सम्मिलित करते हुए, उसके कारोबार/व्यवसाय की निवल (शुद्ध) सम्पत्ति (net worth) की तथा आन्तरिक संसाधनों की उत्पत्ति के आधार पर, प्रवर्तकों संबंधी को भी सम्मिलित करते हुए परियोजना की उक्त पूंजी (equity) हेतु संसाधनों को उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा।

5. अनुज्ञप्ति प्रदाय हेतु प्रक्रिया (Procedure for Grant of Licence)

5.1 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश राज्य में विद्युत वितरण कारोबार में नियोजित किये जाने का इच्छुक हो, द्वारा आयोग को, अनुलग्नक–1 में अधिनियम तथा इन विनियमों के उपबन्ध के अनुसार वितरण अनुज्ञप्ति (Distribution Licence) प्रदान करने हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार), विनियम, 2024 की अनुसूची–1 के अन्तर्गत निर्दिष्ट ऐसे शुल्क के भुगतान का प्रलेखी साक्ष्य (documentary evidence) भी संलग्न करना होगा।

5.2 वितरण अनुज्ञप्ति हेतु प्रत्येक आवेदन या याचिका तथा सहायक प्रलेख (supporting documents) समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 में निर्दिष्ट की गई प्रतियों की संख्या में आवेदक या याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित सचिव को या ऐसे अधिकारी को संबोधित जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, निम्न दर्शाये गये प्रलेखों के साथ प्रस्तुत करने होंगे :

एक. आवेदक द्वारा यथाहस्ताक्षरित प्रस्तावित विद्युत आपूर्ति क्षेत्र (proposed area of supply) से संबंधित मानचित्र की छः प्रतियां ऐसे अनुमाप (scale) पर जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए ;

दो. एक विवरण–पत्र जिसमें ऐसी भूमियों (lands) तथा परिसम्पत्तियों (assets) का वर्णन दिया जाए जो आवेदक अनुज्ञप्ति के प्रयोजन हेतु अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित कर रहा हो तथा ऐसे अधिग्रहण के साधनों (means) को दर्शाते हुए ;

तीन. व्यवसाय योजना (Business Plan) का विवरण–पत्र, मय अनुज्ञप्त व्यवसाय (Licensed business) के कार्यान्वियन में व्यय की जाने वाली पूंजी के, पूंजीगत व्यय के निधीयन हेतु जुटाये जाने वाले साधन, परिणामी दक्षता सुधार (resultant efficiency improvments) तथा ऐसे अन्य विवरण जैसा कि आयोग द्वारा चाहे जाएं ;

चार. कम्पनी जहां आवेदक निगमित निकाय (body corporate) है के संबंधित संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) तथा संस्था के अन्तर्नियम (Articles of Association) की प्रतिलिपि तथा अन्य व्यावसायिक इकाइयों के प्रकरण में निगमन (incorporation), पंजीकरण (registration) या अनुबन्ध (agreement) जैसे इसी प्रकार के प्रयोज्य प्रलेख ;

पांच. वार्षिक लेखों तथा अन्य इसी प्रकार के प्रलेख जैसा कि अपेक्षित हों, की एक प्रति ;

छः. आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्र (affidavit) जिसमें आवेदन में प्रकट की गई जानकारी को सत्यापित किया गया हो ;

सात. जहां आवेदक कोई निगमित निकाय (body corporate) हो, समूह कम्पनी/कम्पनियों के विवरण जो विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण या विद्युत के व्यापार में नियोजित हों, से संबंधित विवरण, भले वे मध्यप्रदेश राज्य में या अन्य किसी राज्य में अवस्थित हों ;

आठ जहां आवेदक निगमित निकाय (body corporate) न हो, वहां विद्युत उत्पादन, वितरण, पारेषण या विद्युत के व्यापार के किसी व्यवसाय के विवरण प्रस्तुत किये जाएं जिसमें आवेदक प्रत्यक्ष रूप से या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इच्छुक हो, भले वह मध्यप्रदेश राज्य में या अन्य किसी राज्य में अवस्थित हो ;

नौ. शुल्क के भुगतान से संबंधित अभिस्वीकृति (acknowledgement) की रसीद ; और

दस. इसी प्रकार के अन्य प्रलेख तथा जानकारी/सूचना, जैसा कि वे आयोग द्वारा चाहे गये हों।

5.3 आवेदन की विषय–वस्तु (Contents of Application):

उपरोक्त विनियम 5.1 में संदर्भित आवेदन के अन्तर्गत निम्न विवरण सम्मिलित किये जाएंगे :

एक. प्रस्तावित अनुज्ञप्ति का लघु शीर्षक विवरण (Short Title Descriptive), पता दर्शाते हुए आवेदक से संबंधित विवरण के साथ तथा यदि आवेदक एक कम्पनी हो तो कम्पनी के समस्त संचालकों/निदेशकों (Directors) के नाम ;

दो. परिचालन के प्रस्तावित क्षेत्र की अवस्थिति ;

तीन. संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण ;

चार. क्षेत्र का विवरण मय किसी छावनी (cantonment) का कोई पूर्ण भाग या आंशिक भाग, हवाई अड्डा (aerodrome), किला (fortress), शस्त्रागार (arsenal), गोदी (dockyard) या कोई भवन या स्थान जो शासन के पास किसी फौजी कार्रवाई के प्रयोजन से प्रतिरक्षा (defence) के प्रयोजन से हो। यदि फौजी कार्यवाही के प्रस्तावित क्षेत्र के आधिपत्य में पूर्ण या आंशिक क्षेत्र

हो तो केन्द्र सरकार के माध्यम से अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

पांच. सामान्य शर्तों के साथ–साथ विशिष्ट शर्तें, यदि कोई हों जिन्हें आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया गया हो तथा सामान्य अथवा विशिष्ट शर्त में चाहा गया विचलन, औचित्य दर्शाते हुए ; और

छः इसी प्रकार के अन्य विवरण जैसा कि वे आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये जाएं।

5.4 **आवेदन की अभिस्वीकृति (Acknowledgement of Application):**

आवेदन प्राप्त होने पर, प्राप्तिकर्ता अधिकारी (Receiving officer) उस पर इसके प्राप्त होने की तिथि अंकित (note) करेगा तथा इसकी अभिस्वीकृति, प्राप्ति की तिथि का स्पष्ट वर्णन प्रकट करते हुए, इसे आवेदक को प्रेषित करेगा।

5.5 **सार्वजनिक निरीक्षण हेतु सहायक प्रलेखों की प्रतियां (Copies of Supporting Documents for Public Inspection):**

आवेदक द्वारा अपने स्वयं के कार्यालय में तथा ऐसे अन्य किसी स्थान पर भी जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, विनियम 5.2 में संदर्भित सहायक प्रलेखों (supporting documents) की प्रतियों को सार्वजनिक निरीक्षण हेतु संधारित करना होगा तथा ऐसे व्यक्ति जो इनकी प्राप्ति हेतु आवेदन करते हों, को ऐसे मूल्य पर प्रलेखों को प्रदान करने की व्यवस्था करनी होगी जो युक्तिसंगत फोटोकॉपी प्रभारों से अधिक न होगी। आवेदक द्वारा सम्पूर्ण आवेदन को, मय संलग्नकों के, विनियम 5.2 में संदर्भित सहायक प्रलेखों को सम्मिलित करते हुए अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड करना होगा। आवेदन को आवेदक की वेबसाइट पर ऐसे समय तक प्रकाशित (posted) रखा जाएगा जब तक आयोग द्वारा आवेदन का निराकरण न कर दिया जाए।

5.6 **अतिरिक्त जानकारी हेतु मांग करना (Calling for Additional Information) :**

आयोग या सचिव या आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु अभिहित किसी अधिकारी द्वारा आवेदन का सूक्ष्म परीक्षण किये जाने पर निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदक से ऐसी अतिरिक्त जानकारी या विवरण या

प्रलेखों की मांग की जा सकेगी जैसा कि वह आवेदन के संव्यवहार हेतु आवश्यक समझी जाए।

5.7 आवेदन के यथोचित दाखिल किये जाने संबंधी कार्रवाई को अधिसूचित करना (Notifying the due filing of application) :

वांछित तथा आवश्यक जानकारी, विवरण तथा प्रलेखों के प्राप्त होने की पुष्टि हो जाने पर, इस प्रयोजन हेतु अभिहित अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि आवेदन अधिनियम तथा इन विनियमों में प्रदत्त प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने पर विचार करने हेतु तैयार है तथा इसे आवेदक को सूचित करेगा।

5.8 आवेदन तथा इसकी विषयवस्तु का विज्ञापन जारी करना (Advertisement of application and contents thereof):

5.8.1 आवेदक द्वारा, इस आशय का आवेदन आयोग को प्रस्तुत किये जाने से सात दिवस के भीतर उसके आवेदन की सार्वजनिक सूचना के बारे में सार्वजनिक विज्ञापन के प्रकाशन द्वारा, जिसे कम से कम व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दो प्रमुख समाचार पत्रों में, जिनमें से प्रथम हिन्दी भाषा में तथा द्वितीय अंग्रेजी भाषा में होगा, के माध्यम से सार्वजनिक टिप्पणियां आमन्त्रित की जाएंगी। विज्ञापन में ऐसे विवरण को सम्मिलित किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए। सूचना को आवेदक की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जाना जारी रखा जाएगा।

5.8.2 समाचार पत्रों में प्रकाशित आवेदन जिसे आवेदक की वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा, के माध्यम से यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए कि आवेदन के बारे में सुझाव तथा आपत्तियां, यदि कोई हों, किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस के भीतर दाखिल की जा सकेंगी जिसकी एक प्रति सचिव, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग को ऐसे पते पर जैसा कि इसे कारबार का संचालन विनियम, 2016 में निर्दिष्ट किया गया है, इस संबंध में जारी आदेश के माध्यम से अधिसूचित अनुसार प्रस्तुत की जा सकेगी।

5.8.3 आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन के बारे में सूचना ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि आयोग द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी, व्यक्ति या निकाय को प्रस्तुत की जाए।

5.9 आपत्तियां (Objections) :

क. कोई भी व्यक्ति जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने के बारे में आपत्ति प्रस्तुत का इच्छुक हो वह सूचना के प्रकाशन की तिथि से 21 दिवस या विस्तारित समयावधि के भीतर, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, अपनी आपत्तियां दाखिल कर सकेगा।

ख. किसी भी व्यक्ति द्वारा जो अनुज्ञप्ति की शर्तों के बारे में संशोधन कराये जाने का इच्छुक हो, वह संशोधन के बारे में अभिकथन (statement) आवेदक को आयोग द्वारा अभिहित अधिकारी के समक्ष आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर जारी किया जा सकेगा।

5.10 सुनवाइयां तथा स्थानीय पूछताछ (Hearings and Local Inquiries) :

क) यदि आवेदक ने आवेदन के बारे में यथोचित प्रकार से सूचना का प्रकाशन कराया हो तथा आपत्ति दर्ज करने का समय समाप्त हो चुका हो तो आयोग आवेदन के बारे में सुनवाई की कार्यवाही प्रारंभ कर सकेगा।

ख) आयोग आवेदक को तथा ऐसे व्यक्तियों को जिनके द्वारा आपत्तियां दाखिल की गई हों, केन्द्र सरकार, राज्य शासन तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी व्यक्ति या निकाय को पूछताछ या सुनवाई के बारे में नोटिस जारी करेगा जैसा कि आयोग उचित समझे।

ग) यदि कोई व्यक्ति आवेदित (applied for) अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने के संबंध में आपत्ति दर्ज करता हो तो आयोग द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि उसके द्वारा उचित समझा जाए, स्थानीय पूछताछ आयोजित करने हेतु निमित्त की जा सकेगी।

घ) ऐसी किसी स्थानीय पूछताछ के प्रकरण में, स्थानीय पूछताछ के निष्कर्ष का ज्ञापन–पत्र (memorandum) तैयार किया जाएगा

तथा इसे आवेदक, अधिकारी या इस प्रयोजन हेतु अभिहित व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जैसा कि आयोग निर्देश दे, द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा।

6. **अनुज्ञप्ति प्रदान करना (Grant of Licence)**:

6.1 आयोग द्वारा सार्वजनिक सूचना के प्रत्युत्तर में प्राप्त की गई टिप्पणियों, सुझावों तथा आपत्तियों पर विचार करते हुए आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाना प्रस्तावित करेगा या फिर आवेदन को निरस्त किया जाएगा जिस हेतु लिखित में कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।

6.2 अनुज्ञप्ति प्रदान करने से पूर्व, आयोग भी अपने प्रस्ताव के बारे में एक प्रस्ताव आयोग की वेबसाइट पर तथा व्यापक प्रचार–प्रसार वाले दो समाचार–पत्रों में, जैसा कि आयोग उचित समझे, उक्त व्यक्ति का नाम तथा पते का उल्लेख करते हुए जिसे वह अनुज्ञप्ति प्रदान करना प्रस्तावित करता हो, और अन्य कोई विवरण दर्शाते हुए जिन्हें आयोग प्रकट करना उचित समझता हो, प्रकाशित करेगा। तद्नुसार, आयोग अपने प्रस्तावों के बारे में सुझाव तथा आपत्तियां सूचना के प्रकाशन से 21 दिवस के भीतर आमंत्रित करने संबंधी कार्रवाई करेगा।

6.3 इन विनियमों के विनियम 6.2 के अनुसार सार्वजनिक सूचना की प्रतिक्रिया में आगे प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों की प्रतिक्रिया में आयोग आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करेगा या फिर आवेदन को निरस्त करेगा जिस हेतु लिखित में कारणों को अभिलिखित किया जाएगा।

6.4 आयोग अनुज्ञप्ति प्रदान करने या आवेदन को निरस्त करने से पूर्व, इन विनियमों के उपबन्धों के अधीन, आवेदक तथा ऐसे व्यक्ति को जिसके द्वारा टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझाव दाखिल किये गये हों, या किसी रूचि रखने वाले व्यक्ति को भी सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

6.5 आयोग आवेदक को अनुज्ञप्ति प्रदान करने संबंधी आदेश पारित होने के सात दिवस के भीतर अनुज्ञप्ति की प्रतिलिपि ऊर्जा विभाग, मप्र शासन, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य पारेषण उपयोगिता, भार प्रेषण केन्द्र तथा आवेदक को प्रेषित करेगा।

6.6 **वितरण अनुज्ञप्ति का प्रारम्भ (Commencement of Distribution Licence)**

वितरण अनुज्ञप्ति का प्रारम्भ ऐसी तिथि से होगा जैसे कि आयोग द्वारा अधिसूचित किया जाए।

6.7 वितरण अनुज्ञप्ति की वैधता (Validity of Distribution Licence)

जब तक आयोग द्वारा प्रतिसंहरण (revoke) न किया जाए, वितरण अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि इसकी प्रारंभिक तिथि से पच्चीस (25) वर्ष होगी।

6.8 मानचित्रों को जमा करना (Deposit of Maps)

वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने पर, मानचित्रों के तीन (3) सेट, तन्तुपथ (लाइन) का मार्ग दर्शाते हुए मय अवस्थिति के ऐसे विवरण के साथ, जैसा कि आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए पर सचिव या आयोग द्वारा अन्य किसी नामांकित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएंगे तथा दिनांक अंकित की जाएगी जो अनुज्ञप्ति प्रदान करने की अधिसूचना तिथि से सुसंगत होगी। ऐसे मानचित्रों का एक सेट आयोग के कार्यालय द्वारा धारित किया जाएगा, तथा अन्य दो (2) सेट अनुज्ञप्तिधारी को वापस लौटा दिये जाएंगे।

6.9 अनुज्ञप्ति की प्रतियों को जमा करना (Deposit of Copies of Licence)

6.9.1 ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जिसे वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए, द्वारा प्रदाय तिथि से तीस (30) दिवस के भीतर :

(क) अनुज्ञप्ति को पर्याप्त संख्या में मुद्रित करायेगा ;

(ख) मानचित्रों की पर्याप्त संख्या जिनके माध्यम से वितरण अनुज्ञप्ति में विद्युत प्रदाय क्षेत्र निर्दिष्ट किया गया हो, तैयार करायेगा ;

ग) ऐसी वितरण अनुज्ञप्ति तथा मानचित्रों की प्रतिलिपि को प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था, कार्यालयीन समय के दौरान अपने मुख्यालय, स्थानीय कार्यालय में (यदि कोई हो) तथा विद्युत प्रदाय क्षेत्र के अन्तर्गत प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी कार्यालय में, जैसा कि आयोग द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किया जाए, करनी होगी।

6.9.2 प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त कथित तीस (30) दिवस की अवधि के भीतर निःशुल्क अनुज्ञप्ति की एक प्रति तथा सुसंबद्ध मानचित्र प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्दिष्ट किया जाए, प्रदान करेगा तथा वितरण अनुज्ञप्ति (Distribution Licence) की मुद्रित प्रतियों के विक्रय हेतु ऐसे समस्त व्यक्तियों को जो इस हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हों, के लिये ऐसे मूल्य पर जिसकी लागत फोटोकॉपी प्रभारों से अधिक न होगी, हेतु भी व्यवस्था करेगा।

अध्याय 3 : सामान्य शर्तें/अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व (General Conditions/Obligations of Licensee)

7. अनुज्ञप्तिधारी के कार्य एवं कर्तव्य (Functions and Duties of Licensee)

7.1 अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व सामान्य या विशेष अनुमोदन के बिना :

एक. विद्युत का क्रय या आयात अन्यथा अर्जन नहीं करेगा या ऐसा करने के लिए स्वयं को आबद्ध नहीं करेगा।

दो. वितरण अनुज्ञप्ति की शर्तो, विनियमों, आयोग द्वारा जारी आदेशों तथा दिशा–निर्देशों के अनुसरण के सिवाय किसी व्यक्ति को विद्युत का विक्रय या अन्यथा व्ययन (dispose) नहीं करेगा।

तीन. किसी व्यापार (Trading) में लाभकारी हित का स्वामित्व नहीं रखेगा या धारित करेगा, सिवाय :

(क) ऐसे व्यक्ति के जो आयोग द्वारा प्रदान की गई सामान्य छूट के अनुसरण में विद्युत प्रदाय करता हो ; या

(ख) उसके वितरण कारोबार के प्रयोजन से भिन्न प्रदाय के क्षेत्र में व्यापार के लिए उपयोग में लाई गई किन्हीं सुविधाओं में ;

चार. किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता को क्रय या अधिग्रहण अन्यत्र रूप से अर्जित करने के लिए किसी संव्यवहार का दायित्व वहन नहीं करेगा या

पांच. उसकी उपयोगिता को किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी की उपयोगिता के साथ संविलियन नहीं करेगा।

7.2 उपरोक्त विनियम 7.1 में अंतर्विष्ट प्रतिबंध के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति से जो इन विनियमों की सूचना की तिथि को जिसकी विद्युत उत्पादन इकाई अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के साथ प्रत्यक्ष रूप से संयोज़ित और अर्न्तसंयोजित (interfaced) है, को विद्युत का क्रय या अधिग्रहण करने की पात्रता होगी :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग को विद्युत ऊर्जा के ऐसे क्रय या अधिग्रहण की विद्यमान व्यवस्था के बारे में आयोग को सूचित करेगा और इसे अनुज्ञप्ति के जारी करने की तिथि के पश्चात् निष्पादित किये जाने हेतु प्रस्तावित नवीन व्यवस्था के लिए सामान्य या विशेष अनुमोदन प्राप्त करेगा।

7.3 अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं और आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के सिवाय अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित किसी अन्य व्यवस्था, के प्रारंभ होने के 7 दिवस पूर्व आयोग को सूचना दिए बगैर, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के माध्यम से विद्युत के वहन के लिए, आयोग द्वारा प्राधिकृत न किए गये किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी या व्यक्ति को सेवाओं के नये उपबंध की व्यवस्था प्रारंभ नहीं करेगा। उपभोक्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रदाय की निरंतरता के हित में तात्कालिक उपचारी कार्रवाई की परिस्थितियों में अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों में निर्दिष्ट क्रियाकलाप प्रारंभ कर सकेगा परन्तु अनुज्ञप्तिधारी तत्पश्चात् उसके 7 दिवस के भीतर ऐसी घटना या परिस्थितियों की आयोग को सूचना देगा।

7.4 अनुज्ञप्तिधारी विद्युत के वितरण और प्रदाय के लिए मितव्ययी रीति के अनुसार अधिप्राप्ति पारदर्शी ऊर्जा क्रय या अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अधीन समय–समय पर आयोग द्वारा बनाए गए विनियमों, दिशा–निर्देशों के अनुसार एक मितव्ययी रीति में वितरण और आपूर्ति के लिए वांछित ऊर्जा का क्रय करेगा।

7.5 अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम, इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों तथा विनियमों, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 तथा इसके अधीन संरचित समय–समय पर यथासंशोधित नियमों तथा विनियमों के साथ–साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी समय–समय पर यथासंशोधित विनियमों, विशेष रूप से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी) विनियम,

2003 तथा CEA (Technical Standards for Connectivity to Grid) विनियम, 2007 के उपबन्धों का पूर्णतया अनुपालन करेगा।

8. वितरण अनुज्ञप्तिधारी की सीमाबद्धताएं (Limitations of Distribution Licensee)

अनुज्ञप्तिधारी, आयोग की पूर्व अनुमति के बिना अधिनियम की धारा 65 के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गये राज्यानुदान (subsidy) या म.प्र. अधिनियम की धारा 27 के अनुसरण में राज्य शासन द्वारा प्रदाय किये गये अनुदान (Subvention) के सिवाय किसी व्यक्ति या अनुज्ञप्ति के किसी अन्य कारोबार (चाहे वह आयोग द्वारा अधिकृत हो या न हो) से कोई राज्यानुदान या अनुदान न तो देगा या लेगा, या कोई राज्यानुदान (सब्सिडी) या अनुदान प्राप्त करेगा :

परन्तु यह कि केंद्र/राज्य सरकार से वित्तीय सहायता हेतु अनुदान (grant) प्राप्त करने हेतु आयोग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नही होगी।

9. अनुज्ञप्ति की विशेष शर्तें (Special Conditions of Licence)

9.1 अनुज्ञप्तिधारी दक्षता में सुधारों बाबत लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु, जो समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 संबंधी विनियम में विनिर्दिष्टानुसार हानि कम करने संबंधी मार्गदर्शिका (road map) तक ही सीमित न होंगे जैसा कि ये अनुज्ञप्तिधारी को प्रयोज्य हैं, अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा। तद्नुसार, उसके द्वारा समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत का सह–उत्पादन तथा उत्पादन) विनियम 2021 में निर्दिष्ट नवीकरणीय क्रय आबन्धन का अनुपालन किया जाएगा। नियन्त्रण अवधि में निर्दिष्टानुसार अनुज्ञप्तिधारी की किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति में विफलता की व्याख्या आयोग द्वारा इस प्रकार की जाएगी कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियमों के अधीन अपने उत्तरदायित्वों में जानबूझकर तथा दीर्घीकृत चूक की गई है तथा वह इस अनुज्ञप्ति के माध्यम से अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों को पूर्ण रूप से निर्वहन करने की स्थिति में नहीं है। तथापि, किसी निर्दिष्ट उत्तरदायित्व की पूर्ति में चूक पाये जाने पर

अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।

9.2 अनुज्ञप्तिधारी मानव संसाधन, भरती, प्रशिक्षण, आवर्तन (rotation) तथा अनुपालन (performance) से संयोजित प्रोत्साहन क्रियाविधियों के नियोजन के बारे में अपनी नीति तैयार करेगा तथा आयोग द्वारा इस बारे में मांग किये जाने पर उन्हें इसके क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में अवगत करायेगा।

9.3 अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 तथा आयोग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों जैसा कि वे मापन (मीटरिंग) व्यवस्था के प्रावधानों के बारे में हैं, का पालन करेगा।

10. अनुज्ञप्ति का अन्य कारोबार/व्यवसाय (Other Business of Licensee)

10.1 अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी अन्य कारोबार /व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा। आयोग ऐसी अनुमति अनुज्ञप्तिधारी के अनुरोध पर देगा बशर्ते ऐसी गतिविधि से वितरण को समाविष्ट करते हुए आस्तियां और अधोसंरचना लाभकारी नियोजन के रूप में परिणत हों और निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हों :

क. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुज्ञप्त कारोबार/व्यवसाय और उसका आचरण किसी भी रीति में विद्वेषपूर्ण और/या प्रतिकूलतः प्रभावित न होता हो ;

ख. अनुज्ञप्तिधारी अन्य कारोबार क्रियाकलापों के संबंध में पृथक लेखा अभिलेख तैयार करेगा और रखेगा जो ऐसी गतिविधियों के संबंध में रखा जाना वांछित होगा जैसा कि वे किसी पृथक कंपनी द्वारा संचालित हों जिससे अन्य कारोबार की गतिविधियों के राजस्व, लागतें, आस्तियां, दायित्व, आरक्षित निधि और प्रावधान उक्त अनुज्ञप्त कारोबार से पृथक रूप से चिन्हांकित किये जा सकें ;

ग. अनुज्ञप्तिधारी ऐसे दिशा–निर्देशों, शर्तों का अनुपालन करेगा जो आयोग द्वारा निम्न के संबंध में विनिर्दिष्ट किये जा सकें :–

एक. अन्य कारोबार गतिविधियों में संलग्न अनुज्ञप्तिधारी ; और

दो. ऐसे अन्य कारोबार के क्रियाकलापों के लिए उपयोग में लाए गए अनुज्ञप्त कारोबार की आस्तियों हेतु न्यायसंगत क्षतिपूर्ति (fair compensation) के भुगतान के लिए ;

घ. अनुज्ञप्तिधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना अन्य कारोबार/व्यवसाय गतिविधियों के प्रयोजन के लिए वितरण प्रणाली में उपयोग में लाई गई किन्हीं आस्तियों का अंतरण नहीं करेगा।

ङ. अनुज्ञप्तिधारी उसके आधिपत्य में रखे गये कतिपय उपस्करों/सामग्री को भाड़े पर देने के लिये अधिकृत होगा। अनुज्ञप्तिधारी उसके आधिपत्य में विद्युत खंभों पर टेलीविजन चैनल या अन्य संचार चैनलों (Communication Channels) हेतु केबल बिछाने की अनुमति देने हेतु अधिकृत होगा। अनुज्ञप्तिधारी उसके आधिपत्य के विद्युत खंभों/सम्पतियों पर विज्ञापन पटल लगाने की अनुमति प्रदान करने हेतु भी अधिकृत होगा। अनुज्ञप्तिधारी कबाड़/अनुपयोगी सामग्रियों/अप्रचलित उपस्करों का विक्रय या व्ययन करने हेतु अधिकृत होगा। ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त आय को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के समक्ष दाखिल की जाने वाली वार्षिक राजस्व आवश्यकता याचिका में सम्मिलित किया जाएगा।

10.2 अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को ऋण देने या किसी बाध्यता (obligation) के लिए कोई प्रतिभूति (गारंटी) जारी करने के पूर्व आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा, ऐसे प्रकरण को छोड़कर जब इसे अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) के प्रयोजनों के लिए दिया या जारी किया गया हो। कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसरण में ऋण और कारोबार के सामान्य अनुक्रम में व्यापार अग्रिम प्राप्ति को ऐसे अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा से अपवर्जित किया जाता है।

10.3 अनुज्ञप्तिधारी उसकी किन्हीं सहायक कम्पनियों (Subsidiaries) या नियन्त्रण कम्पनी (holding company) या किसी ऐसी नियन्त्रण कम्पनी की सहायक कम्पनी का नियोजन (engage) प्राप्त अनुज्ञप्त कारोबार के संबंध में किसी माल या सेवा को निम्न शर्तों के अध्यधीन रहते हुए कर सकेगा :—

एक. यह कि संव्यवहार 'अति परिचित आधार (arms length basis)' पर होगा और ऐसे मूल्य पर होगा जो परिस्थितियों के अनुरूप उचित और युक्तियुक्त हों ;

दो. यह कि अनुज्ञप्त कारोबार के संबंध में माल और सेवाओं के प्रावधान हेतु संव्यवहार संबंधित आयोग द्वारा विरचित किन्हीं विनियमों से सुसंगत होगा ;

तीन. यह कि अनुज्ञप्तिधारी प्रस्तावित व्यवस्था के प्रारंभ होने के पूर्व आयोग को 15 दिवस का नोटिस जारी करेगा और नोटिस के साथ व्यवस्था के समस्त सुसंगत विवरण उपलब्ध करायेगा ; और

चार. यह कि अनुज्ञप्तिधारी आयोग प्रति वित्तीय वर्ष हेतु सनदी लेखापाल की ओर से उपरोक्त विनियम 10.3 (क) के अनुपालन के बारे में एक प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेगा।

10.4 अनुज्ञप्तिधारी सहायक कम्पनियां (Subsidiaries), सहयोगी कम्पनियां (Associated Companies) स्थापित कर सकेगा या फ्रेन्चाइजी प्रदान कर सकेगा या फिर प्रबंध संविदाएं (management contracts) भी निष्पादित कर सकेगा जहां ऐसे कृत्यों को संचालित करने या निष्पादित करने के लिए बिलिंग अभिकर्ता (billing agent) की नियुक्ति सम्मिलित है जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के अधीन संचालित करने या चलाने के लिए प्राधिकृत है :

परन्तु सदैव यह कि :–

क. ऐसी कोई भी सहायक कम्पनी (Subsidiary) या सहयोगी कंपनी (associated company) या ठेकेदार या अभिकर्ता, अनुज्ञप्तिधारी के संपूर्ण पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन और इस अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार कार्य का संचालन करेंगे,

ख. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसी सहायक कम्पनी (Subsidiary) या सहयोगी कंपनी (Associated Company) या फ्रेन्चाइजी या ठेकेदार के किसी कृत्य को प्रत्यायोजित करने के पूर्व ऐसी शर्तों के अध्यधीन जैसा कि आयोग नियत करे, एक करोड़ रूपये प्रति वर्ष से अधिक के मूल्य के संव्यवहार के लिए आयोग को सूचित करेगा ; और

ग. अनुज्ञप्तिधारी किसी ऐसी सहायक कम्पनी, सहयोगी कंपनी या फ्रेन्चाइजी या अभिकर्ताओं या ठेकेदारों के समस्त कृत्यों के लिए उत्तरदायी होगा और व्यवस्थाओं को समाप्त (terminate) कर सकेगा यदि अनुज्ञप्तिधारी को उनका निष्पादन असंतोषजनक प्रतीत होता हो।

10.5 जहां ऐसी पूर्व–अनुमति (permission) अपेक्षित हो जैसा कि पूर्व में विनियम 10.1 से 10.4 में निर्दिष्ट किया गया है वहां अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत तथ्यों को प्रकट करते हुए आयोग के समक्ष एक यथोचित याचिका दाखिल करेगा। आयोग, याचिका दाखिल करने के 30 दिवस के भीतर याचिका के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी मांग सकेगा। आयोग, सामान्यतः ऐसी अतिरिक्त जानकारी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत करने के 30 दिवस के भीतर या जहां आयोग द्वारा कोई जानकारी नहीं चाही जाती हो तो आवेदन दाखिल करने के 60 दिवस के भीतर ऐसी शर्तों या उपांतरणों के अध्यधीन जैसा कि समुचित समझा जाए, व्यवस्था को अनुज्ञेय कर सकेगा या आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आदेश में लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए उसे अस्वीकार कर सकेगा।

अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व (Obligations of Licensee)

11.1 अनुज्ञप्तिधारी युक्तियुक्त अनुज्ञप्ति की वैधता के बारे में निम्न पहलुओं के बारे में जनोपयोगी संव्यवहारों के अनुसार पर्याप्त रूप से बीमा (insurance) बनाये रखेगा :

क) किन्ही भी अनुबन्धों के बारे में

ख) भारत में प्रचलित कानूनों के बारे में

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी स्व बीमा (self insurance) हेतु विकल्प दे सकेगा ;

11.2 अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली का निर्माण समयबद्ध दक्ष, समन्वित तथा मितव्ययी ढंग से करेगा ;

11.3 अनुज्ञप्ति वितरण प्रणाली की स्थापना, संचालन तथा संधारण युक्तियुक्त जनोपयोगी संव्यवहारों तथा अनुबन्धों/करारों के अनुसार करेगा ;

11.4 अनुज्ञप्तिधारी भारत में लागू समस्त कानूनों का कड़ाईपूर्वक अनुपालन करेगा, विशेषकर अधिनियम, म.प्र. अधिनियम, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम

2001 तथा नियम जैसे कि दुर्घटनाओं की सूचना (सूचना की तामील का प्रारूप और समय) नियम, 2005, विद्युत वितरण की अनुज्ञप्ति (पूंजी पर्याप्तता, उधार पात्रता की अतिरिक्त अपेक्षायें और आचार संहिता) नियम, 2005 तथा अनुज्ञप्तिधारियों का संकर्म नियम, 2006 इत्यादि तथा विनियम जिनकी संरचना अधिनियम के अनुसरण में की गई है, ग्रिड संहिता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी सुसंबद्ध विनियम जैसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2022 केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति संबंधी उपाय) विनियम, 2023, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण, संचालनों और संधारण के लिये सुरक्षा आवश्यकतायें) विनियम, 2022, इत्यादि तथा मानक (Standards), आयोग द्वारा जारी दिशा–निर्देश ;

11.5 अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन शर्तें) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम 2021 के अनुसार पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, वितरण अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी, विद्युत उत्पादन कम्पनी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उपयोग हेतु अपनी वितरण प्रणाली के प्रति भेद–भाव रहित/खुली पहुंच (non-discriminatory open access) उपलब्ध करायेगा ;

11.6 जब कभी भी आयोग की पूर्वानुमति की आवश्यकता हो तो अनुज्ञप्तिधारी आयोग के समक्ष समय–समय पर यथा संशोधित तथा पुनरीक्षित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार एक समुचित आवेदन प्रस्तुत करेगा ; और

12. प्रतिराज्यानुदान क्रियाविधि (Subsidy Mechanism)

12.1 राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 65 के संबंध में उपभोक्ता के किसी वर्ग या वर्गों को कोई राज्यानुदान (सब्सिडी) उपलब्ध कराने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी उसका कार्यान्वयन अधिनियम, केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये नियमों तथा यथा9संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य सरकार द्वारा जारी राज्यानुदान अर्थात् सब्सिडी भुगतान करने की रीति) विनियम, 2024 के प्रावधानों के अनुपालन के पश्चात् ही कर सकेगा।

12.2 अनुज्ञप्तिधारी आयोग की पूर्व अनुमति के बिना किसी व्यक्ति को या उसके अन्य व्यवसाय(ों) के प्रयोजन के लिए या तो अधिसूचित विद्युत–दर (टैरिफ) को कम करके या अन्यथा रूप से किसी भी प्रभार की रियायत, छूट (remission) या कमी द्वारा कोई राज्यानुदान (Subsidy) या अनुदान (subvention) प्रदान नहीं करेगा।

13. अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण (Renewal of Licence)

जब तक पूर्व में अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण न किया गया हो, वितरण अनुज्ञप्ति इसके जारी होने की तिथि से पच्चीस (25) वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर स्वचालित एक–मुश्त आगे भी पच्चीस (25) वर्ष के लिये नवीकृत (renewed) हो जाएगी :

परन्तु यह कि इन विनियमों के विनियम 5 के अनुसार अनुज्ञप्ति की प्रारंभिक अवधि के समापन से दो वर्ष पूर्व आवेदन की प्रस्तुति द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की 25 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण पच्चीस (25) से कम अवधि के लिये भी अपनी इच्छानुसार प्राप्त कर सकेगा।

परन्तु आगे यह और कि प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार करते हुए आयोग अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण 25 वर्ष से कम अवधि के लिये भी कर सकेगा।

14. वितरण विद्युत–दर (Distribution Tariff)

14.1 अधिनियम की धारा 62 के अधीन, विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु अनुज्ञप्तिधारी को आयोग के विद्युत–दर विनियमों (Tariff Regulations) के अनुसार एक याचिका आयोग के समक्ष दाखिल करनी होगी। याचिका के साथ शुल्क (fees) का भुगतान आयोग द्वारा अवधारित तथा अधिसूचित विनियमों के अनुसार करना होगा। आयोग अनुज्ञप्तिधारी द्वारा देय शुल्क हेतु ऐसे विनियमों के माध्यम से अधिसूचित अवधियों एवं कार्यकाल हेतु उससे (अनुज्ञप्तिधारी) शुल्क का भुगतान करने की अपेक्षा कर सकेगा :

परन्तु यह कि एक ही क्षेत्र में दो या उससे अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रकरण में, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के मध्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने हेतु, आयोग केवल खुदरा वितरण की दर की अधिकतम सीमा निर्धारित कर सकता है।

14.2 अनुज्ञप्तिधारी को विनियम 14.3 के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revene Requirement) के अवधारण हेतु इन विनियमों के अधीन भुगतान किये गये शुल्क की राशि को व्यय के रूप में लेखांकित किये जाने की पात्रता होगी।

14.3 अधिनियम के भाग सात, अधिनियम की धारा 181(2)(यच) के अधीन अधिसूचित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021, आयोग के आदेशों तथा आयोग द्वारा समय–समय पर निर्दिष्ट अन्य आवश्यकताओं के अनुसार भी, अनुज्ञप्तिधारी ऐसे प्रभार जिस हेतु उसे वार्षिक राजस्व आवश्यकता तथा प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) की वसूली हेतु अनुमति प्रदान की गई है, हेतु क्रियाविधि (methodology) का अनुसरण करेगा।

14.4 अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम के भाग छः, भाग बारह तथा भाग चौदह के बारे में विद्युत के अनाधिकृत उपयोग की रोकथाम तथा राजस्व की वसूली में सुधार लाने के लिये समुचित कदम उठायेगा।

15. **अनुचित वरीयता पर निषेध (Prohibitionof Undue Preference)**

अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति के प्रति अनुचित वरीयता प्रदर्शित नहीं करेगा :

परन्तु यह कि अनुज्ञप्तिधारी इस अनुज्ञप्ति के अधीन उसकी वचनबद्धता के भंग का उत्तरदायी नहीं समझा जाएगा यदि कोई अनुचित वरीयता अधिनियम या म.प्र. अधिनियम के अधीन आयोग के किन्हीं निर्देशों के पालन से होती हो। सामान्यतः अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय करना जिससे पिछले छहः माह या अधिक दीर्घकालीन समयावधि के विद्युत देयक की राशि वसूल न की गई हो, को अनुचित वरीयता समझा जाएगा। अनुचित वरीयता से संबंधित ऐसे प्रकरणों की समस्त जानकारी उपभोक्ता श्रेणीवार आयोग को प्रतिवेदित की जाएगी।

16. परिसम्पत्तियों/आस्तियों का अन्तरण (Transfer of Assets)

16.1 अनुज्ञप्तिधारी एकल संव्यवहार (single transaction) में या संबंधित संव्यवहार के समूह में किसी भी मूल्य की किसी भूमि या भवन या अन्य परिसम्पत्ति/आस्ति जिसका कोई मूल्य प्रस्तावित अंतरण के समय एक करोड़ रूपयों से अधिक हो, घोषित अधिशेष (surplus) या अतिशेष

(scrap) को छोड़कर, विनियम 16.2 से 16.4 में वर्णित नियम शर्तों का पालन किये बिना अंतरण या नियंत्रण का त्याग नहीं करेगा। अनुज्ञप्तिधारी इस आदेश के उपबंधों की परिवंचना (circumvent) करने के लिये परिसम्पत्ति/आस्ति या उसके भाग को विभाजित/विभक्त या टुकड़े–टुकड़े नहीं करेगा।

16.2 अनुज्ञप्तिधारी एक करोड़ रूपये से अधिक मूल्य की किसी परिसम्पत्ति/आस्ति के चालू नियंत्रण को आयोग की पूर्व लिखित सूचना दिये बिना त्याग (relinquish) या अंतरित नहीं करेगा और समस्त सुसंगत तथ्यों को लिखित नोटिस के माध्यम से आयोग के समक्ष प्रकट करेगा। आयोग, नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर संव्यवहार के समर्थन में और जानकारी प्राप्त कर सकेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसी और जानकारी प्रस्तुत करने के 30 दिवस के भीतर और जहां आयोग द्वारा यथापूर्वोक्त और जानकारी चाही जाती हो वहां आवेदन दाखिल करने के 60 दिवस के भीतर ऐसी शर्तों या उपांतरणों के अध्यधीन व्यवस्था को अनुमोदित करेगा जैसी की समुचित समझी जाए। आयोग अपने लिखित आदेश द्वारा कारणों को बताते हुए उसे अस्वीकृत कर सकता है।

16.3 अनुज्ञप्तिधारी विनियम 16.2 के अधीन दिये गए किसी नोटिस में विनिर्दिष्ट किसी परिसम्पत्ति/आस्ति के चालू नियंत्रण को अंतरित या त्याग सकेगा जहां :

क. आयोग लिखित में यह पुष्टि करता हो कि वह चालू नियंत्रण के ऐसे अंतरण या त्यागने की लिखित में पुष्टि ऐसी शर्तों के अध्यधीन करता हो जैसा कि आयोग द्वारा अधिरोपित की जाए, या

ख. आयोग निबन्धन 16.2 में निर्दिष्ट नोटिस की अवधि के भीतर चालू नियंत्रण के ऐसे अंतरण या त्यागने पर कोई आपत्ति को लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को सूचित न करता हो और अंतरण पारदर्शी और प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया द्वारा प्रभावी होता हो।

16.4 अनुज्ञप्तिधारी किसी परिसम्पत्ति/आस्ति पर परिचालनात्मक नियंत्रण (operational control) का अंतरण या त्यजन (relinquish) भी कर सकेगा, जहां कि :

क.　आयोग ने निम्न संबंध में सामान्य सहमति (चाहे शर्तों के अध्यधीन हो या न हो) अन्तर्विष्ट करते हुए निर्देश जारी कर दिये हों :

ख.　किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के संव्यवहार हेतु, और/या

ग.　किसी विनिर्दिष्ट वर्णन की परिसम्पत्ति/आस्ति के प्रति परिचालनात्मक नियंत्रण का अंतरण या त्यजन, और/या

घ.　परिचालनात्मक नियंत्रण का अन्तरण या त्यजन ऐसी शर्तों के अनुसार है जिस हेतु सहमति विषय है ;

ङ.　परिचालनात्मक नियंत्रण का प्रश्नगत अन्तरण अथवा त्यजन किसी अन्य, अधिनियम के अधिदेश के अधीन अपेक्षित है ; और

च.　यह कि प्रश्नगत परिसम्पत्ति/आस्ति को किसी अन्य कारोबार/व्यवसाय के संबंध में विनियम 10 के अनुसरण में अनुज्ञप्तिधारी को अधिग्रहण करने के लिये प्राधिकृत किया गया हो एवं जो अन्यथा या प्राथमिक रूप से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिग्रहण और उपयोग में लाई गई थी और इससे भूमि में कोई विधिक या हितकारी हित गठित नहीं होता है या अन्यथा वितरण प्रणाली का कोई भाग नहीं है।

16.5 उपरोक्त कथित के होते हुए भी, अनुज्ञप्तिधारी उसकी पूंजी निवेश आवश्यकताओं के वित्त पोषण को सुकर बनाने के साधन के रूप में परिसम्पत्तियों/आस्तियों का उपयोग निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए करने हेतु अधिकृत होगा, जिसमें ऋण वित्त पोषण, विक्रय और पट्टा वापसी और प्राप्यों का प्रतिभूतिकरण (securitization of receivables) सम्मिलित है :

क)　यह कि अनुज्ञप्तिधारी सुसंगत अनुबन्ध की प्रभावी दिनांक के कम से कम 15 दिवस पूर्व ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में आयोग को सूचित करेगा।

ख)　अनुज्ञप्तिधारी आस्तियों के ऐसे उपयोग में विवेकपूर्ण और युक्तियुक्त रीति में कृत्य करता हो ; और

ग)　अनुज्ञप्तिधारी वितरण प्रणाली में परिसम्पत्तियों/आस्तियों पर परिचालनात्मक नियंत्रण (Operational Control) प्रतिधारित करता हो।

16.6 अनुज्ञप्तिधारी कबाड़/अनुपयोगी सामग्री/अनुपयोगी उपकरणों का विक्रय या व्ययन करने हेतु अधिकृत होगा।

17. **समझे गये अनुज्ञप्तिधारियों को प्रयोज्य उपबन्ध (Provisions Applicable to Deemed Recensces) :**

अधिनियम की धारा 14 के किसी भी परन्तुक के अधीन इन विनियमों में विनिर्दिष्ट वितरण अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तें (General Conditions of Distribution Licence) समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को भी प्रयोज्य होंगी।

अध्याय 4 . लेखे (Accounts)

18.1 अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्त कारोबार/व्यवसाय और कोई अन्य कारोबार/व्यवसाय के संबंध में :

क. ऐसे लेखे अभिलेख संधारित करेगा जो प्रत्येक ऐसे कारोबार के संबंध में रखा जाना अपेक्षित होगा जैसा कि वे एक पृथक कम्पनी हेतु निष्पादित किये जा रहे हों जिससे कि अनुज्ञप्त कारोबार (Licensed Business) को युक्तियुक्त रूप से लगाने योग्य राजस्व, व्यय, परिसम्पत्तियों/आस्तियां, दायित्व, संचिति और निवेश, को अनुज्ञप्तिधारी की पुस्तक में उन अन्य व्यवसायों से जिसमें अनुज्ञप्तिधारी नियोजित रह सकेगा, को पृथक रूप से चिन्हांकित किया जा सके।

ख) ऐसे लेखे अभिलेख से प्रचलित आधार (consistent basis) पर तैयार करेगा और आयोग को प्रदान करेगा –

एक. वित्तीय विवरण–पत्र (Financial Statements) ;

दो. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम छह माह के संबंध में एक अंतरिम लाभ और हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरण–पत्रों और ऐसे समर्थन अभिलेखों और जानकारी के साथ तुलन–पत्र जैसा कि समय–समय पर विहित किया जाए;

तीन. विनियम 18(ख)(एक) तथा (दो) के अनुसार उचित रूप से तैयार किये गये विवरण–पत्रों के संबंध में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये यह अधिकथित करते हुए किसी अंकेक्षक/सम्परीक्षक का प्रतिवेदन कि क्या उनके मतानुसार इन विवरणों को उचित प्रकार से तैयार किया गया है और ये

राजस्वों, व्यय, परिसम्पत्तियों/आस्तियों, दायित्वों, संचिति और निवेश का निम्न बिन्दुओं पर सत्य और उचित दृष्टिकोण प्रदान करते हैं :–

(क) कम्पनी मामलों की स्थिति के संबंध में तुलन–पत्र;

(ख) वित्तीय वर्ष के लिये लाभ–हानि हेतु, लाभ–हानि लेखा ;

चार. प्रत्येक अंतरिम लाभ और हानि लेखा की एक प्रति देगा, जो उस अवधि में जिससे वह संबंधित है, के पैंतालीस दिवस के पश्चात् का न हो और लेखा विवरण तथा अंकेक्षक का प्रतिवेदन देगा जो उस वित्तीय वर्ष, जिससे वह संबंधित है, की समाप्ति के 6 माह के पश्चात् का न हो।

ग. अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत वितरण (लेखा और अतिरिक्त प्रकटीकरण) नियम 2024 के उपबन्धों का अनुपालन करेगा।

18.2 अनुज्ञप्तिधारी, आयोग को पूर्व सूचना दिए बिना वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू वित्तीय विवरण–पत्रों (Financial Statements) की तैयारी के संबंध में भार या संविभाजन या राजस्व के आवंटन या व्ययों के आधार को सामान्यतः परिवर्तित नहीं कर सकेगा। भार या राजस्व के संविभाजन या व्यय में यदि कोई परिवर्तन प्रस्तावित हो तो यह कम्पनी अधिनियम, 2013 के उपबन्धों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखा मानकों या नियमों और इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किए गए दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जा सकेगा।

18.3 जहां पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अंगीकृत उन भार या संविभाजन या आवंटन के आधार को परिवर्तित कर दिया गया हो वहां अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा अनुरोध किये जाने पर (उन आधारों पर वित्तीय विवरण–पत्र तैयार करने के अतिरिक्त जिन्हें उसने अंगीकृत किया है) उस आधार पर ऐसे वित्तीय विवरण–पत्र तैयार करेगा जो ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू होते थे।

18.4 जब तक अन्यथा आयोग द्वारा अनुमोदित या निर्देशित न कर दिए जाएं विनियम 18.1 के अधीन वित्तीय विवरण–पत्र :–

एक. विनियमों में विहित रीति में अनुज्ञप्तिधारी के वार्षिक लेखा तैयार और प्रकाशित किए जाएंगे ;

दो. अंगीकृत की गई लेखा नीतियों को अधिकथित किया जाएगा ; और

तीन. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (ICAI) द्वारा जारी लेखा मानकों (Accounting Standards) के अनुसार तैयार किए जाएंगे।

18.5 अनुज्ञप्त व्यवसाय (Licensed Business) या अन्य व्यवसाय (Other Business) में युक्तियुक्त रूप से लगाने योग्य व्ययों या दायित्वों हेतु इस अध्याय में संदर्भित ऐसी पूंजीगत देयताएं जो सैद्धान्तिक रूप से ऐसे व्यवसाय और उस पर ब्याज से संबंधित हैं, कराधान (taxation) को छोड़कर मानी जाएंगी।

18.6 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करेगा कि विनियम 18.1 के अधीन, तैयार किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण–पत्र और विनियम 18.1(ख)(तीन) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में अंकेक्षक प्रतिवेदन ऐसी रीति में प्रकाशित किया जाए जैसा कि आयोग निर्देशित करे तथा किसी व्यक्ति द्वारा अनुरोध किये जाने पर उसे फोटोकॉपी के युक्तियुक्त मूल्य से अनाधिक की लागत पर उसे उपलब्ध कराया जाए।

18.7 आयोग ऐसे समय से जिसे वह उपयुक्त समझे, अनुज्ञप्तिधारी के वितरण कारोबार और प्रदाय कारोबार को पृथक मानते हुए अनुज्ञप्तिधारी से उपरोक्त विनियम 18.1 से 18.6 के उपबंधों का पालन करने की अपेक्षा कर सकेगा और ऐसे किसी भी दिशा–निर्देश का अनुज्ञप्तिधारी पालन करेगा जो इस संबंध में आयोग द्वारा जारी किए जाएं। निर्बाध (खुली) पहुंच की आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में वित्तीय विवरण–पत्रों में पूंजीगत व्यय, वितरण कारोबार और प्रदाय कारोबार के लिये पृथक रूप से वित्तीय विवरण–पत्र संधारित किये जाएंगे जबकि राजस्व व्यय के लिए सामान्य सेवाएं उन्हें यथोचित रूप से आयोग की जानकारी में लाकर आवंटित कर किया जाएगा।

18.8 अनुज्ञप्तिधारी किसी व्यक्ति को उस राशि से अधिक का भुगतान नहीं करेगा जो उसे किसी वाणिज्यिक अनुबंध (commercial agreement) की शर्तों के अधीन देय हो :

परन्तु यह कि ऐसे वाणिज्यिक अनुबन्ध का निष्पादन आयोग के प्रयोज्य विनियम के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा तथा इस प्रकार निष्पादित किये गये वाणिज्यिक अनुबन्ध में कोई विसंगति पाये जाने पर प्रयोज्य विनियमों के उपबन्ध अभिभावी होंगे।

18.9 अनुज्ञप्तिधारी परिसम्पत्ति/आस्ति पंजियों (Assets Registers) को समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 में विनिर्दिष्ट अनुसार संधारित करेगा तथा समय-समय पर इन्हें अद्यतन करेगा, जैसा कि वह आवश्यक हो तथा आयोग द्वारा चाहे जाने पर इसे उपलब्ध करायेगा।

अध्याय 5 : आयोग को जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी प्रावधान (Provision of Information to the Commission)

19.1 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग द्वारा जारी तत्संगत विनियमों/प्रक्रियाओं के मानक/संलेखों, विशेष रूप से समय-समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों तथा राज्य-स्वामित्व धारक विद्युत उत्पादन कम्पनी के कार्य निष्पादन का अनुप्रवर्तन) विनियम 2022,तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (नियामक अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिये दिशा-निर्देश) विनियम, 2024 के अनुसार विनिर्दिष्ट जानकारी कथित विनियम/प्रक्रियाओं/मानक/संलेखों में निर्दिष्ट प्ररूपों (formats) में दर्शाई गई रीति के अनुसार प्रस्तुत की जाएगी।

19.2 अनुज्ञप्तिधारी अविलंब आयोग को ऐसी जानकारी और विवरण प्रस्तुत करेगा जो उसके अनुज्ञप्त वितरण कारोबार (Licensed Distribution Business) या अनुज्ञप्तिधारी के किसी अन्य कारोबार से संबंधित हो और जैसा कि आयोग को इसकी आवश्यकता हो।

19.3 अनुज्ञप्तिधारी, यथासंशोधित म.प्र. विद्युत वितरण संहिता 2024, के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट घटना की सूचना की प्रक्रिया का पालन करेगा।

19.4 आयोग अपने स्वयं के विवेकानुसार अनुज्ञप्तिधारी के व्यय पर किसी भी स्वतन्त्र व्यक्ति से कतिपय घटना(ओं) के बारे में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु मांग कर सकेगा। ऐसे व्यय समय–समय पर यथा संशोधित तथा पुनरीक्षित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम, 2021 के अनुसार सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement) के अवधारण हेतु सम्मिलित किये जा सकेंगे।

19.5 अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा समय–समय पर ऐसे विषयों के अध्ययन का दायित्व वहन करेगा जिन्हें आयोग सार्वजनिक हित में या विद्युत उद्योग के हित में आवश्यक समझता हो जिससे उसके अनुज्ञप्त वितरण कारोबार और या अन्य तकनीकी या व्यवसायिक या उपभोक्ता से संबंधित मामले में क्षमता का प्रोत्साहन, विद्युत दरों को नवीन स्वरूप देने, उपभोक्ता की सेवाओं में उत्कृष्टता या नवीकरणीय एकीकरण को सुनिश्चित करें, में सुधार परिलक्षित हो।

19.6 अनुज्ञप्तिधारी कतिपय अनुमोदित संविदा के अधीन किसी उपयोगकर्ता द्वारा उसके दायित्वों की पूर्ति न कर पाने के कारण किसी विशेष आकस्मिक घटना के बारे में आयोग को सूचित करेगा, जिसके कारण वह इन विनियमों के अधीन अपने दायित्वों की पूर्ति न कर पा रहा हो।

19.7 अनुज्ञप्तिधारी एक 5–वर्षीय व्यवसाय योजना (5-year Business Plan) (जिसे एतद् पश्चात् नियोजन अवधि कहा जाएगा) प्रति वर्ष प्रथम अक्टूबर को प्रस्तुत करेगा तथा इसे प्रति वर्ष क्रमिक आधार (rolling basis) पर अद्यतन करेगा। व्यवसाय योजना में निम्न पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा :

क. कम्पनी/अनुज्ञप्तिधारी की संस्थागत संरचना (organisation structure) मय कम्पनी के बर्हिनियमों (Memorandum) तथा अन्तर्नियमों (Articles of Association) के अनुसार भरे गये पदों की संख्या की अद्यतन स्थिति।

ख. कम्पनी के अन्तर्गत दक्षता लाभ (efficiency gains) के संदर्भ में मानव संसाधन, भरती, प्रशिक्षण, आवर्तन (Rotation) तथा निष्पादन से संयोजित प्रोत्साहन क्रियाविधियां (incentive mechanisms) नियोजित करने संबंधी नीति का उल्लेख किया जाए।

ग. उपभोक्ताओं के लिये गुणवत्ता (quality) तथा बाधारहित (uninterupted) विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने संबंधी रणनीति मय उपभोक्ता सेवाओं में सुधार हेतु अन्य उपायों को योजना में समुचित प्रकार से स्थापित किये जाने का उल्लेख किया जाए।

घ. वितरण हानियों का वर्तमान स्तर मय कम्पनी के परिचालन क्षेत्र के प्रत्येक भाग (territory) में आगामी पांच वर्षों के दौरान हानियों में कमी लाये जाने संबंधी उद्देश्य एवं अनुपालन का उल्लेख किया जाए। हानि कम किये जाने संबंधी योजना को उचित प्रकार से पूंजी निवेश योजना (Investment Plan) के साथ हानि कम करने हेतु प्रत्येक उपाय के प्रति पूंजी निवेश तथा निधीयन के स्त्रोत के साथ–साथ की गई बचत के रूप में ऋण लौटाने (pay back) तथा अनुवर्ती वित्तीय बचत को दर्शाते हुए संयोजित किया जाए।

ङ. श्रेणीवार तथा वोल्टेजवार उपभोक्ता मिश्र (consumer mix) का वर्तमान स्तर, संयोजित भार, यूनिटों का विक्रय मय समस्त मानदण्डों (parameters) का पूर्वानुमान मय युक्तियुक्त पूर्वधारणाओं (assumptions) का स्पष्ट वर्णन तथा व्याख्या–भार वृद्धि (load growth) हेतु चालक (drivers) अर्थात् लम्बित आवेदनों के आधार पर उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि, उपभोक्ताओं की वास्तविक वृद्धि दरें तथा संयोजित भार, प्रत्याशित औद्योगीकरण, आदि मुख्य उपभोक्ताओं से प्राप्त प्रतिक्रिया (feedback), आबद्ध–प्रत्यावर्तन (captive repatriation), निर्बाध (खुली) पहुंच का प्रभाव, शासकीय नीतियों का प्रभाव, आदि के बारे में।

च. अवशेष अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु मीटरीकरण योजना ताकि शत–प्रतिशत मीटरीकरण के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके तथा

ऊर्जा लेखांकन के प्रयोजन हेतु वितरण ट्रान्सफार्मर मापन व्यवस्था (DTR metering) का पृथक से उल्लेख किया जाए तथा इसकी व्याख्या 'excel sheets' के माध्यम से की जाए।

छ. संग्रहण दक्षता (collection efficiency) का वर्तमान स्तर तथा आने वाले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार सुधार के लक्ष्य, यह उल्लेख करते हुए कि इस संबंध में कम्पनी द्वारा क्या प्रभावी उपाय किये जाने प्रस्तावित हैं।

ज. पूंजीगत व्यय योजना (Capital Expenditure Plan-Capex) : अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अधिसूचित तथा समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धान्त) विनियम 2021 सहपठित समय–समय पर यथासंशोधित प्रलेख "Guidelines for Capital Expenditure by Licensees in Madhya Pradesh, 2025" से संरेखित एक 5–वर्षीय पूंजीगत व्यय योजना (Capex) प्रस्तुत करेगा।

झ. आयोग अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रैमास के दौरान पूर्व वित्तीय वर्ष की 'Capex' योजना के कार्यान्वयन में की गई प्रगति के बारे में अवगत कराये जिसके अन्तर्गत आयोग द्वारा अनुमोदित योजना के विरूद्ध वास्तविक कार्यान्वयन का तुलनात्मक अध्ययन किया गया हो। इसी के आधार पर, अनुवर्ती योजना में संशोधन किया जा सकता है जो आयोग द्वारा अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

19.8 अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक वर्ष की 30 जून को, विगत 31 मार्च को सम्पन्न वित्तीय वर्ष के लिये, कम्पनी के प्रबंध संचालक तथा अनुपालन रिपोर्टर द्वारा हस्ताक्षरित इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा अधिनियम, म.प्र. अधिनियम, तथा ऊर्जा संरक्षण अधियिम 2001 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

अध्याय 6 : वार्षिक शुल्क का भुगतान (Payment of Annual Fees)

20.1 प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष हेतु जब अनुज्ञप्ति प्रभावशील होती है, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग को समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) (पुनरीक्षण–द्वितीय) विनियम, 2024 के अनुसार अग्रिम रूप से 31 मार्च तक प्रति वर्ष आयोग वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क (Commission Annual Licence Fee) का भुगतान करना होगा।

20.2 यदि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त विनियम 20.1 तथा/या विनियम 20.2 के अधीन देय किसी भी शुल्क का भुगतान निर्दिष्ट तिथियों तक करने में चूक करता हो, वहां उसके विरूद्ध निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी :

क. अनुज्ञप्तिधारी को बकाया देय राशि पर प्रचलित बैंक दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा जिसके अनुसार ब्याज राशि की गणना उस दिवस से प्रारंभ हो जाएगी जब राशि का भुगतान देय हो तथा उस दिवस तक देय होगी जब पूर्ण देय राशि का भुगतान कर दिया जाए;

ख. अनुज्ञप्तिधारी शुल्क (fees) पूर्ण देय राशि की वसूली हेतु कार्रवाइयों के अध्यधीन रहते हुए होगा ; और

ग. अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसरण में आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण किया जा सकेगा।

अध्याय 7 : अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण (Revocation of Licence)

21.1 अधिनियम की धारा 19 तथा इन विनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए आयोग किसी भी समय अनुज्ञप्तिधारी के विरूद्ध अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही को प्रारंभ कर सकेगा तथा यदि वह कार्रवाई से सन्तुष्ट हो कि ऐसी कार्रवाई लोकहित में की जाना आवश्यक है तो अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण की कार्यवाही किसी भी एक निम्न प्रकरण में की जा सकेगी :

(क) जहां आयोग के मतानुसार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अधिनियम या मध्यप्रदेश अधिनियम या उनके अन्तर्गत बनाये गये विनियमों के अनुसार उसके द्वारा निष्पादित किये जाने संबंधी कार्य में इरादतन (जानबूझकर) तथा दीर्घकालीन चूक की गई हो या फिर वह

आयोग द्वारा जारी आदेशों या दिशा–निर्देशों के अनुपालन में विफल रहा हो;

(ख) जहां अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों तथा निबन्धनों का उल्लंघन करता हो तथा इस प्रकार का उल्लंघन ऐसी अनुज्ञप्ति द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित भी हो जाता हो जिसके अनुसार वह अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का भागी हो ;

(ग) जहां अनुज्ञप्तिधारी नियत अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति की शर्तों के अनुपालन में विफल रहा हो या आयोग द्वारा अपेक्षाकृत दीर्घ अवधि प्रदान करने के बावजूद भी स्थिति में कोई सुधार परिलक्षित न हुआ हो :

एक. जो आयोग की तुष्टि के अनुसार यह प्रकट करे कि वह अनुज्ञप्ति के अनुसार अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों के अनुपालन में सक्षम नहीं है ; या

दो. अनुज्ञप्तिधारी जमा की जाने वाली राशि या प्रतिभूति निक्षेप प्रस्तुत करने या शुल्क तथा अन्य वांछित प्रभारों की राशि जमा करने में विफल रहा हो ;

(घ) जहां आयोग के मतानुसार अनुज्ञप्तिधारी की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में तथा उसे प्रदत्त दायित्वों के निर्वहन में पूर्ण रूप से तथा दक्षतापूर्वक अक्षम हो ; और

(ङ) उसके द्वारा ऐसी कोई कार्रवाई की गई है जिसके अनुसार वह अधिनियमों तथा विनियमों में निर्दिष्ट अनुसार तथा अन्य कारण से भी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का भागी हो।

21.2 जहां आयोग के मत में लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो वहां आयोग आवेदन प्राप्त होने पर या अनुज्ञप्तिधारी की सहमति से अनुज्ञप्ति को पूर्ण रूप से या उसके वितरण क्षेत्र के किसी भाग के लिए ऐसे शर्तों पर प्रतिसंहत कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे।

21.3 इस अनुज्ञप्ति की यह शर्त है कि अनुज्ञप्तिधारी समस्त विनियमों, संहिताओं, मानकों, तथा आयोग के आदेशों और दिशा–निर्देशों का भी अनुपालन करेगा। जब आयोग स्पष्टतः ऐसा अभिव्यक्त करता हो कि अनुज्ञप्तिधारी से आदेश के पालन हेतु बाध्य (subjects) करता है तो उस

आदेश के अनुपालन में विफल रहने से अनुज्ञप्ति अधिनियम (किसी अन्य लागू योग्य आधार पर इस अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत करने के आयोग के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना) की धारा 19 के अनुसार प्रतिसंहरण के योग्य (liable to revocation) रहेगी।

21.4 जब तक आयोग द्वारा अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण करने बाबत जांच न कर ली जाए, अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण नहीं किया जा सकेगा। ऐसा आयोग द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार किया जाएगा। इस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष स्पष्ट करने हेतु तीन माह का नोटिस लिखित में जारी किया जाएगा। इस नोटिस के अन्तर्गत आयोग द्वारा कथित कार्रवाई के कारण स्पष्ट किये जाएंगे तथा नोटिस अवधि के दौरान भी प्रस्तावित प्रतिसंहरण के विरूद्ध अनुज्ञप्तिधारी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

21.5 विद्युत अधिनियम की धारा 19(4) के अनुसरण में आयोग यह भी निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञप्ति का पूर्णतया प्रतिसंहरण न किया जाए तथा अनुज्ञप्ति के प्रावधानों के अधीन परिचालन को जारी रखा जाए जिस हेतु अतिरिक्त शर्तें तथा निबंधन अनुज्ञप्तिधारी पर अधिरोपित किये जा सकेंगे जैसा कि आयोग उचित समझे। ऐसी आगे अधिरोपित की जाने वाली निबंधन तथा शर्तें अनुज्ञप्तिधारी पर बाध्यकारी होंगी तथा अनुज्ञप्तिधारी को इनका अनिवार्य रूप से अनुपालन करना होगा तथा वे 'शक्ति (force)' तथा 'प्रभाव (effect)' के समकक्ष होंगी जैसा कि वे अनुज्ञप्तिधारी की मूल निबंधन तथा शर्तों में प्रारंभ ही से सम्मिलित थीं।

21.6 जब अनुज्ञप्तिधारी अपनी अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण हेतु आवेदन करता हो तथा आयोग इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा किया जाना सार्वजनिक हित में है तो आयोग अनुज्ञप्ति का प्रतिसंहरण ऐसी निबंधन तथा शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, कर सकेगा।

21.7 आयोग अनुज्ञप्तिधारी को अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहरण का नोटिस जारी करेगा तथा इस हेतु वह प्रतिसंहरण की तिथि भी निर्धारित करेगा। इसी के साथ–साथ वह यह भी निर्दिष्ट करेगा कि आगे प्रतिसंहरण की कार्रवाई के पश्चात् दायित्वों का निर्वहन किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जाएगा।

अध्याय 8 : अनुज्ञप्ति की शर्तों में संशोधन (Amendment of Licence Conditions)

22.1 आयोग स्वयं की प्रेरणा से या फिर अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में ऐसे परिवर्तन तथा संशोधन कर सकेगा यदि आयोग का यह मत हो कि ऐसा किया जाना लोकहित में है :

जहां आयोग कतिपय परिवर्तनों तथा संशोधनों के बारे में आदेश जारी करता हो जिसमें अनुज्ञप्तिधारी का आवेदन सन्निहित न हो, तो आयोग इस बारे में ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में नोटिस प्रकाशित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे मय निम्नांकित विवरणों के, यथा :

एक. अनुज्ञप्तिधारी का नाम तथा पता ;

दो. अनुज्ञप्ति में प्रस्तावित परिवर्तन तथा सुधार/संशोधन ;

तीन. ऐसे परिवर्तनों तथा सुधार/संशोधन किये जाने का आधार ; और

चार. प्रस्ताव पर विवरण–पत्र (Statement), कथन सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए, यदि कोई हो, आयोग के विचार हेतु जो नोटिस में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रस्तुत की जाएंगी।

22.2 इन विनियमों के विनियम 5 में निर्दिष्ट प्रक्रिया यथोचित परिवर्तनों के साथ प्रयोज्य होगी यदि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति में किसी संशोधन हेतु आवेदन प्रस्तुत करता हो।

22.3 अनुज्ञप्ति शर्त में संशोधन हेतु प्रस्ताव पर सुझाव तथा आपत्तियां आमन्त्रित करते हुए आयोग आवेदक द्वारा प्रस्तुत याचिका को भी आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

22.4 हितधारकों (Stakeholders) से प्राप्त किये गये सुझावों तथा आपत्तियों पर विचारोपरान्त आयोग अनुज्ञप्ति में ऐसे संशोधन कार्यान्वित करेगा जैसा कि वह उचित समझे।

अध्याय 9 : विद्युत की अधिप्राप्ति एवं वितरण अनुज्ञप्तिधारी की शर्ते (Power Procurement & Technical Conditions of Distribution Licence)

23. विद्युत की अधिप्राप्ति (Power Procurement)

23.1 अनुज्ञप्तिधारी निम्न विनियमों 23.2 और 23.3 में दर्शाई गई शर्तों के अधीन आयोग द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन के बिना विद्युत क्षमता और/या ऊर्जा का क्रय नहीं करेगा।

23.2 अनुज्ञप्तिधारी समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संशाधन पर्याप्तता की संरचना) विनियम, 2024 के उपबन्ध के अनुसरण के पश्चात् आयोग द्वारा यथा अनुमोदित किसी पारदर्शी अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अधीन एक मितव्ययी और दक्ष रीति के अनुसार विद्युत क्षमता/या ऊर्जा का क्रय करेगा।

23.3 विनियम 23.1 के अधीन वांछित प्राधिकार (authorisation) केवल समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता की संरचना) विनियम, 2024 के अनुपालन पश्चात ही प्रदान किया जाएगा।

24. ग्रिड संहिता का अनुपालन (Compliance with Grid Code)

24.1 अनुज्ञप्तिधारी को समय–समय पर यथासंशोधित ग्रिड संहिता (Grid Code) के उपबन्धों का अनुपालन करना होगा।

24.2 आयोग युक्तियुक्त आधार पर किसी प्रभावित विद्युत उत्पादन कम्पनियों पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, राज्य पारेषण उपयोगिता (State Transmission Utility), राज्य भार प्रेषण केन्द्र और विद्युत व्यापारियों से परामर्श के पश्चात् ग्रिड कोड के ऐसे भागों के संबंध में **विनियम 11** के अधीन उसके दायित्वों से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त करते हुए निर्देश जारी कर सकेगा जैसा कि आयोग द्वारा इस बारे में निर्णय लिया जाए।

25. मानक तथा प्रक्रियाएं (Standards and Procedures)

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग के साथ सहभागिता तथा उसे सहायता की उपलब्धता उक्त सीमा तक प्राप्त की जाएगी, जैसा कि विकास कार्यो में तथा प्रस्तावित मानकों, संहिताओं, प्रक्रियाओं को आयोग द्वारा अधिसूचित किये जाने हेतु आवश्यक होगी। अनुज्ञप्तिधारी को आयोग द्वारा समस्त मानकों तथा प्रक्रियाओं का कार्यान्वयन करना होगा।

26. वितरण नियोजन एवं वितरण परिचालन मानक, समग्र निष्पादन मानक (Distribution Planning and Distribution Operating Standards, Overall Performance Standards)

26.1 अनुज्ञप्तिधारी को अपने विद्युत आपूर्ति क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणालियों के नियोजन, विकास, संचालन, संधारण/अनुरक्षण तथा उपयोग में समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024 के उपबन्धों का अनुपालन करना होगा।

26.2 अनुज्ञप्तिधारी को सेवा गुणवत्ता (service quality) के मानकों का पालन करना होगा तथा मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (पुनरीक्षण–प्रथम) 2024 के उपबन्धों के साथ–साथ समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता 2024 तथा मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021 के उपबन्धों का भी पालन करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्युत प्रणाली समय–समय पर यथासंशोधित मप्रविनिआ (वितरण अनुपालन मापदण्ड) विनियम, 2012 के उपबन्धों के अनुसार उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय की सुरक्षित, विश्वसनीय तथा दक्ष आपूर्ति प्रदान करने में सक्षम है।

26.3 अनुज्ञप्तिधारी, समय–समय पर यथासंशोधित (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम, 2012 के अन्तर्गत निर्दिष्ट समयावधि के अनुसार पूर्व वर्ष के दौरान अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली के अनुपालन को निदर्शित करते हुए एक प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करेगा। अनुपालन के मानकों को आयोग द्वारा इस अनुज्ञप्ति के विनियम 29 के अनुसार घोषित विद्युत प्रदाय संहिता, उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रतितोषण के लिए दिशा–निर्देश और उपभोक्ता अधिकार विवरण–पत्र का अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पालन का आयोग द्वारा आकलन किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा चाहे जाने पर आयोग द्वारा अनुमोदित रीति के अनुसार प्रतिवेदन की संक्षेपिका भी प्रकाशित करेगा।

26.4 अनुज्ञप्तिधारी ऐसी रीति में उसके अनुज्ञप्त व्यवसाय (Licensed Business) को संचालित करेगा जिसे वह अधिनियम की धारा 57 और मप्र अधिनियम की धारा 34 के अनुसरण में आयोग द्वारा विहित किये गये अनुसार उपभोक्ता द्वारा आपूर्ति सेवाओं और विद्युत के दक्ष उपयोग के उन्नयन के संबंध में सर्वोत्तम सम्पूर्ण अनुपालन मापदण्डों को प्राप्त करने के लिये युक्तियुक्त समझता हो।

26.5 अनुज्ञप्तिधारी प्रति वर्ष आयोग को ऐसी जानकारियां प्रदान करेगा जिसके द्वारा वह विनियम 26.2 से 26.4 में निर्दिष्ट सम्पूर्ण अनुपालन मापदण्डों और अन्य मापदण्डों को प्राप्त करने का प्रस्ताव करता हो।

27. उपभोक्ताओं तथा सार्वजनिक लैम्पों को संयोजित करने का उत्तरदायित्व (Obligation to Connect Consumers and Public Lamps)

27.1 इस अनुज्ञप्ति के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी के निम्नलिखित दायित्व होंगे ;

एक. अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय के क्षेत्र के भीतर किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी (occupier) के आवेदन पर उन परिसरों को विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजन प्रदान करेगा जिसमें समय–समय पर यथासंशोधित विद्युत प्रदाय संहिता, 2021, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022 में उपबंधित शर्तों के अनुसार किसी अपेक्षित वितरण प्रमुख तार (mains) को बिछाना सम्मिलित है ;

दो. जहां किसी परिसर के स्वामी या अधिभोगी को विनियम 27.1(1) की शर्तों के अधीन संयोजन अपेक्षित हो वहां किये जाने वाले आवेदन का प्ररुप उस प्रभाव के अधीन आवेदन के प्रत्युत्तर के लिये प्रक्रिया, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनिर्दिष्ट और आयोग द्वारा अनुमोदित समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार होगी।

तीन. अनुज्ञप्तिधारी सदैव उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिये समुचित गुणवत्ता की पर्याप्त ऊर्जा को अधिप्राप्त करने के लिये प्रयास करेगा।

चार. इस विनियम में किसी बात के होते हुए अनुज्ञप्तिधारी को विशेष आकस्मिक घटना (Force Majeure) की परिस्थितियों में संयोजन

उपलब्ध नहीं कराना होगा जहां आयोग सामान्य या विशेष आदेश द्वारा यह समझता हो कि संयोजन का प्रदान करना अनुज्ञप्तिधारी के युक्तियुक्त नियंत्रण से परे है या आयोग द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

पांच. अनुज्ञप्तिधारी किसी क्षेत्र में सेवा तन्तुपथ (सर्विस लाइन) बिछाने या लगाने के प्रारंभ पूर्व जिसमें कि कोई वितरण प्रमुख तार (Distribution mains) पूर्व में बिछाया या लगाया न गया हो, अधिनियम की धारा 67 और 164 की धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई करेगा।

27.2 जहां विनियम 27.1 के उपबंधों के अधीन वितरण प्रमुख तार (Distribution mains) को बिछाया जा चुका हो और उन प्रमुख तारों के माध्यम से या उनमें से किसी के माध्यम से ऊर्जा का प्रदाय प्रारंभ हो गया हो और राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदाय के क्षेत्र के भीतर किसी सार्वजनिक लैम्प के लिये 2 वर्ष से अनाधिक की अवधि के लिये ऊर्जा के प्रदाय की अपेक्षा की जाती हो तो अनुज्ञप्तिधारी वहां तक जहां कि वह ऐसा करने के लिये किसी विशेष आकस्मिक घटना विशेष होने से या तकनीकी संभाव्यता के अभाव में या अन्य अवरोधों द्वारा बाधित न हो जाए तब तक वह ऐसी बत्तियों (lamps) के लिये उतनी मात्रा में विद्युत का प्रदाय जारी रखेगा जितनी की यथास्थिति राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाए।

27.3 अनुज्ञप्तिधारी विनियम 27.1 तथा 27.2 के अनुसरण में कार्यों (works) को कार्यान्वित करने/प्रदाय (आपूर्ति) को मुक्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियत और आयोग द्वारा अनुमोदित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने तथा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022) के अनुसार किसी प्रक्रिया तथा साथ ही साथ अधिनियम और/या विनियमों के उपबंधों के अनुसार किन्हीं युक्तियुक्त प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

27.4 इस अनुज्ञप्ति के आधार पर अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति कारोबार/व्यवसाय के संचालन से संबंधित या आनुषंगिक आवश्यक गतिविधियों के निष्पादन हेतु

अधिकृत होगा। इसमें अनुज्ञप्ति व्यवसाय हेतु सूचना प्रौद्योगिकी आधारित समाधान जैसे कि सुदूर मापन व्यवस्था (रिमोट मीटरिंग) आदि कार्यान्वित करने के लिये समुचित प्रसारण नेटवर्क (तन्त्र) को बिछाना सम्मिलित होगा।

27.5 अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली के उपयोग के लिये ऐसी व्यवस्था करेगा जिसमें मात्र विद्युत लाइन, विद्युत संयत्र और अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4)(ख) के खण्ड (एक) में यथा उपबंधित अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संबद्ध उपस्कर ही सम्मिलित न होंगे। अनुज्ञप्तिधारी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर प्रणाली के उपयोग के लिये उस व्यक्ति के साथ अनुबन्ध/करार निष्पादित करेगा :

एक. उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली विद्युत–दर (टैरिफ) तथा प्रणाली प्रभारों (system charges) के आधार पर जो इन विनियमों के विनियम 14 तथा 27 के अनुरूप होंगे ;

दो. उक्त व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराई गई विद्युत को वितरण प्रणाली में स्वीकार करना ; और

तीन. विद्युत के ह्रास के समायोजन हेतु विद्युत प्रदाय करना व समयानुपाती (Time of Day) विद्युत को वितरण प्रणाली से निर्धारित निकासी बिन्दु तक प्रदाय करना एवं प्राप्त करना।

28. विद्युत प्रदाय का उत्तरदायित्व तथा विद्युत प्रदाय नियोजन मानक (Obligation to Supply and Power Supply Planning Standards)

28.1 अनुज्ञप्तिधारी यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे समस्त कदम उठाएगा जो अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से संयोजित समस्त उपभोक्ता विनियम 26 में निर्दिष्ट समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024 में निर्दिष्ट समग्र अनुपालन मानदण्डों में निर्दिष्टानुसार यथा उपबंधित विद्युत की सुरक्षित, मितव्ययी और विश्वसनीय आपूर्ति प्राप्त करे सिवाय उसके जहां कि अनुज्ञप्तिधारी अधिनियम की धारा 56 के अनुसरण में या समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2021 के अनुसार कतिपय उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय को अवरूद्ध कर देता हो।

28.2 अनुज्ञप्तिधारी –

एक. प्रति वर्ष समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता की संरचना) विनियम 2024 में निर्दिष्ट अनुसार विद्युत आपूर्ति के क्षेत्र के भीतर ऊर्जा की वार्षिक मांग का पूर्वानुमान लगायेगा ;

दो. समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (संसाधन पर्याप्तता की संरचना) विनियम 2024 में निर्दिष्ट अनुसार आयोग को ऐसे पूर्वानुमान तैयार कर प्रस्तुत करेगा ; और

तीन. म.प्र. राज्य के लिए ऊर्जा मांग पूर्वानुमान की तैयारी में पारेषण अनुज्ञप्तिधारियों, राज्य पारेषण उपयोगिता, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कम्पनी लि. और राज्य भार प्रेषण केन्द्र के साथ समन्वय करेगा।

28.3 उपरोक्त विनियमों के अध्यधीन रहते हुए, अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के अनुसार विद्युत इतनी मात्राओं (Quantities) में जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ताओं की प्रत्याशित मांग की पूर्ति हेतु पर्याप्त हो, का क्रय करेगा।

28.4 इन विनियमों के विनियम 28.3 में निर्दिष्टानुसार, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत क्रय के दौरान नवीकरणीय क्रय आबन्ध (Renewal Purchase Obligation), जैसा कि आयोग द्वारा इसे समय–समय पर निर्दिष्ट किया जाए, का अनुपालन करेगा।

29. उपभोक्ता सेवा (Consumer Service)

29.1. अनुज्ञप्तिधारी,

एक. आयोग द्वारा निर्देशित रीति में उपभोक्ता का ध्यान विभिन्न संहिताओं और विनियमों एवं उनके प्रत्येक पुनरीक्षण की ओर आकृष्ट करेगा जिनमें समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता 2021, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत लाइन प्रदान करने अथवा उपयोग किये संयन्त्र हेतु व्ययो तथा अन्य प्रभारों की वसूली) विनियम, 2022 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की

स्थापना) विनियम, 2021, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता, 2024, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण अनुपालन मानदण्ड) विनियम, 2012 सम्मिलित है तथा मात्र इन तक ही सीमित न होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया जाएगा वे किस प्रकार इनकी प्रतियों का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर अन्तिम प्रकाशित अद्यतन संहिताओं/विनियमों की प्रति प्राप्त कर सकते हैं।

दो. समय–समय पर पुनरीक्षित संहिता की एक प्रति का निरीक्षण, सामान्य कार्य दिवस के दौरान किसी भी व्यक्ति को करायेगा।

तीन. किसी व्यक्ति से उसके द्वारा अनुरोध किये जाने पर ऐसे मूल्य पर संहिता/विनियमों को उपलब्ध करायेगा जो उनकी फोटोकॉपी के युक्तिसंगत मूल्य से अधिक न होगी।

29.2 आयोग इस अधिनियम के अधीन अन्य आवश्यकताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपभोक्ता के असंतोष और शिकायत का प्रकार विहित कर सकेगा जिस पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग द्वारा विहित समय के भीतर ध्यान दिया जाएगा और आयोग एक समुचित स्तर की क्षतिपूर्ति विहित करेगा जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपभोक्ता को ऐसी शिकायत यां असंतोष को समय पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ध्यान न देने की दशा में भुगतान किया जाएगा। आयोग, अनुज्ञप्तिधारी से संबंधित उपभोक्ता को प्रत्यक्षतः क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान और आयोग के पास उसका विवरण दाखिल करने की भी अपेक्षा करेगा। आयोग, उपरोक्त को प्रभावी बनाने के लिए विनियम बना सकेगा और आदेश पारित कर सकेगा।

अध्याय 10 : प्रतिस्पर्द्धा शर्तें (Competition Conditions)

30. खुदरा विद्युत प्रदाय में प्रतिस्पर्द्धा की भूमिका (Introduction of Competition in Retail Supply)

30.1 अनुज्ञप्तिधारी विनियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट किसी भी व्यक्ति को उसकी वितरण प्रणाली में विभेद–रहित निर्बाध (खुली) पहुंच की व्यवस्था करेगा। किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर, समय–समय पर यथासंशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश में अन्तर्राज्यिक खुली पहुंच के लिये निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2021 के अध्यधीन

रहते हुए अनुज्ञप्तिधारी उक्त व्यक्ति को प्रणाली के उपयोग की अनुमति प्रदान करेगा ।

30.2 आयोग अधिनियम की धारा 14 के छठे परन्तुक के अध्यधीन रहते हुए व्यक्ति(ों) को अनुज्ञप्ति के प्रदाय के उसी क्षेत्र में वितरण के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान कर सकेगा तथा एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत का वितरण किये जाने की स्थिति में आयोग विद्युत के खुदरा प्रदाय हेतु केवल अधिकतम दरों के निर्धारण पर विचार कर सकता है।

30.3 आयोग, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए और अनुज्ञप्तिधारी को युक्तियुक्त अवसर उपलब्ध कराने के पश्चात् इस अनुज्ञप्ति की शर्तों को उपांतरित या संशोधित करने के समुचित आदेश जारी कर सकेगा जिन्हें वह प्रतिस्पर्धा को लागू किये जाने के प्रयोजन से उचित समझे।

30.4 अनुज्ञप्तिधारी इन विनियमों के विनियम 30.1 से 30.3 का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रणालियों (Systems) और अन्य संसाधनों की व्यवस्था करेगा।

30.5 अनुज्ञप्तिधारी किसी भी परिस्थिति में किसी ऐसे अनुबन्ध/करार का निष्पादन नहीं करेगा या उसकी आधिपत्यपूर्ण स्थिति का दुरूपयोग नहीं करेगा या गठबन्धन नहीं करेगा जिससे विद्युत उद्योग में प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव निमित्त होना संभावित हो।

अध्याय 11 : शास्ति (Penalty)

इन विनियमों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी प्रकार का उल्लंघन या दुराग्रही अपालन अधिनियम की धारा 142 तथा मध्यप्रदेश अधिनियम की धारा 31, 45 और 46 के अधीन तथा अधिनियम एवं विनियमों के अन्य प्रयोज्य उपबन्धों के अधीन उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु बाध्य कर सकेगी। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा शास्ति से संबंधित किये गये किसी व्यय का दावा नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय 12 : विविध (Miscellaneous)

31. अनुज्ञप्ति की शर्तें तथा निबन्धनों का अनुपालन प्राप्त करने की प्रक्रिया (Procedure for Securing Compliance of Terms and Conditions of Licence)

31.1 जहां आयोग उसके अधिपत्य में उपलब्ध सामग्री के आधार पर सन्तुष्ट हो कि अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की निबंधन तथा शर्तों की अवहेलना कर रहा हो या फिर उसके द्वारा इनकी अवहेलना किये जाने की संभावना है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को एक नोटिस जारी करेगा जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों की अवहेलना का उल्लेख किया जाएगा या फिर जिनकी अवहेलना किये जाने की संभावना है, के बारे में उसके स्पष्टीकरण की मांग करेगा।

31.2 उसे (अनुज्ञप्तिधारी को) नोटिस की तामील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या आयोग के ई–पोर्टल के माध्यम से, उसके सामान्य पते पर या अन्तिम ज्ञात आवासीय या कारोबारी पते पर, पंजीकृत डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से किसी सन्देश–वाहक (messenger) को सम्मिलित करते हुए, के माध्यम से की जा सकती है। जहां आयोग सन्तुष्ट हो कि युक्तियुक्त रूप से उपरोक्त उल्लेखित रीतियों के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को नोटिस जारी करना व्यावहारिक नहीं है वहां आयोग नोटिस प्रदान करने की कार्रवाई समाचार पत्र में नोटिस के प्रकाशन द्वारा ऐसी रीति के अनुसार जैसा कि आयोग उचित समझे, कर सकता है।

31.3 आयोग, यदि उचित समझे कि मामलों को प्रभावित व्यक्तियों या वे जिनके इस प्रकार के उल्लंघन अनुसार प्रभावित होने की संभावना है, के ध्यान में लाया जाना आवश्यक है तो उसके द्वारा एक या एक से अधिक समाचार–पत्रों में, उल्लंघन की गई शर्तें तथा निबन्धन या वे जिनकी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लंघन की जाने की संभावना है, के बारे में प्रकाशन द्वारा ऐसे व्यक्तियों से सुझाव आमन्त्रित करेगा।

31.4 अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों के उल्लंघन के बारे में अनुज्ञप्तिधारी या प्रभावित व्यक्तियों या फिर वे जिनके प्रभावित होने की संभावना है, द्वारा यथास्थिति विनियम 31.2 के अधीन या फिर समाचार–पत्रों में नोटिस जारी होने के प्रकरण में विनियम 31.3 के अधीन अपने सुझाव तथा आपत्तियां नोटिस की प्राप्ति से 30 दिवस के भीतर दाखिल किये जा सकेंगे।

31.5 आयोग प्राप्त की गई आपत्तियों तथा सुझावों पर विचारोपरांत ऐसा आदेश पारित करेगा या फिर ऐसे दिशा–निर्देश जारी करेगा जो अनुज्ञप्ति की निबन्धन तथा शर्तों में अनुपालन प्राप्त करने हेतु आवश्यक होंगे।

32. विवाद निराकरण (Dispute Resolution)

32.1 अनुज्ञप्ति की व्याख्या से जुड़े उससे उद्भूत समस्त विवाद तथा मतभेद (differences) या इनसे संबद्ध शर्तों तथा निबन्धनों का यथासंभव निराकरण परस्पर परामर्श (mutual consultation) तथा सामंजस्य से अनुबन्धों के अनुसार किया जाएगा।

32.2 आयोग को वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee), अन्य अनुज्ञप्तिधारियों तथा विद्युत उत्पादन कम्पनियों के मध्य उठे विवादों के निराकरण के लिये न्यायिक निर्णय लेने या फिर अधिनियम की धारा 86(1)(च) के अनुसरण में ऐसे विवादों को मध्यस्थता (arbitration) हेतु भेजने का अधिकार होगा।

32.3 समस्त वाद विषय (issues) जो अनुज्ञप्ति (licence) से संबंधित इन निबन्धन तथा शर्तों की व्याख्या के बारे में उद्भूत हों, वे आयोग द्वारा अवधारण किये जाने की विषयवस्तु होंगे तथा ऐसे वाद विषयों पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा जिसका केवल अधिनियम की धारा 111 के अधीन अपील के अधिकार के अध्यधीन रहते हुए निराकरण किया जा सकेगा।

32.4 उपरोक्त विनियम 32.2 के अधीन विवादों हेतु विवाचन/मध्यस्थता (arbitration) की कार्रवाई का प्रारंभ तथा संचालन आयोग द्वारा किया जा सकेगा या फिर विवादों को आयोग द्वारा इन विनियमों के विनियम 32.2 के अधीन निर्दिष्ट तथा समय–समय पर यथा पुनरीक्षित तथा संशोधित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (कारबार का संचालन) विनियम, 2016 के अनुसार यथास्थिति अन्य व्यक्तियों की मध्यस्थता हेतु प्रेषित किया जा सकेगा।

32.5 आयोग आदेश द्वारा, पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, वितरण अनुज्ञप्तिधारी (Distribution Licensee) को क्षतिपूर्ति की ऐसी कोई राशि जैसा कि आयोग निर्देश दे ऐसे व्यक्ति(यों) को, जो वितरण अनुज्ञप्तिधारी के किसी कर्मचारी या एजेन्ट की कतिपय कार्रवाई

के संचालन, चूक या उपेक्षा के कारण प्रभावित या पूर्वाग्रही (prejudiced) हुए हों, प्रदान किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा।

33. सम्प्रेषण (Communication)

33.1 इन विनियमों के अधीन समस्त पत्र व्यवहार (सम्प्रेषण) (Communication) लिखित में किया जाएगा तथा इसे प्राप्तिकर्ता (addresee) को व्यक्तिगत या उसके अधिकृत प्रतिनिधि को सौंपा जाएगा या फिर पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट से उसके पंजीकृत कार्यालय के पते या फिर सामान्य (usual) आवास पर या अन्तिम ज्ञात आवासीय पते पर या प्राप्तिकर्ता के व्यावसायिक स्थल के पते पर प्रेषित किया जाएगा।

33.2 समस्त सम्प्रेषण को, प्रेषक द्वारा भेजा गया तथा प्राप्तिकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया समझा जाएगा :

क) जब इसे प्राप्तिकर्ता या उसके अधिकृत अभिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से प्रदान किया जाए ; या

ख) प्राप्तिकर्ता के पते पर इसे पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से सम्प्रेषण की तिथि से 15 दिवस की अवधि के समापन पर।

34. शिथिल करने संबंधी शक्ति (Power to Relax)

आयोग लिखित कारणों के अभिलेखन पश्चात् इन विनियमों से संबंधित कतिपय प्रावधानों को स्वप्रेरणा से या हित रखने वाले किसी पक्षकार द्वारा उसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर शिथिल कर सकेगा।

35. कठिनाई दूर करने की शक्ति (Power to Remove Difficulty)

इन विनियमों के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में यदि कठिनाई उत्पन्न हो तो आयोग आदेश द्वारा, अधिनियम अथवा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबन्धों से अन्असंगत ऐसे उपबन्ध कर सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को कार्यान्वित करने में कठिनाई को दूर करने के लिये आवश्यक प्रतीत हों।

36. संशोधन की शक्ति (Power to Amend)

आयोग जैसा तथा जब कभी भी उचित समय अधिसूचना के माध्यम से इन विनियमों में संशोधन कर सकेगा।

37. निरसन एवं व्यावृत्ति (Repeal and Savings)

37.1 विनियम अर्थात् ''वितरण अनुज्ञप्ति (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी को मिलाकर) की शर्तें 2004'' तथा ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन की प्रक्रिया) विनियम, 2004'' जैसा कि वें इस विनियम की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

37.2 ऐसे निरसन के बावजूद, निरस्त विनियमों के अन्तर्गत किया गया कोई कार्य, कोई कार्यवाही, बनाया गया या जारी किया गया नोटिस अथवा कोई अनुज्ञप्ति, आज्ञा प्राधिकार, छूट जो निरस्त विनियमों के अंतर्गत जारी की गई हो जहाँ तक वे इन विनियमों से असंगत न हो इन विनियमों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा।

37.3 इन विनियमों की कोई भी बात आयोग को ऐसे किसी आदेश को पारित करने हेतु अर्न्तनिहित शक्तियों को सीमित अथवा प्रभावित नहीं करेगी जो न्याय के उद्देश्य प्राप्त करने अथवा आयोग की प्रक्रिया के दुरूपयोग रोकने के उद्देश्य से आवश्यक हो।

37.4 इन विनियमों में की गई कोई भी बात आयोग को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूपता के मामलों में व्यवहार करने के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनाने से नहीं रोकेगी, जो यद्यपि यद्यपि इन विनियमों के प्रावधानों से भिन्न हो, लेकिन जिसे आयोग मामले या मामलों के वर्ग की विशष परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में और इसके कारणों को अभिलेखित करते हुए आवश्यक या समीचीन समझता हो।

37.5 इन विनियमों में की गई कोई भी बात स्पष्टतया या परोक्ष रूप से आयोग को अधिनियम के अधीन किसी ऐसे मामले में कार्यवाही करने से या शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकेगी, जिसके लिये कोई संहिता निर्मित न की गई हो और आयोग इस तरह के मामलों में ऐसी कार्यवाही कर सकेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग या ऐसे कृत्यों का पालन कर सकेगा जिन्हें आयोग उचित समझे।

37.6 इन विनियमों के लागू किये जाने से पूर्व वितरण अनुज्ञप्ति को इन विनियमों के अधीन जारी किया गया समझा जाएगा तथा वे अनुज्ञप्ति की अवशेष अवधियों हेतु निरन्तर वैध माने जाएंगे तथा इन अनुज्ञप्तियों को लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होंगे।

टीप :— मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग {वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु प्रक्रिया, निबन्धन शर्तें तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गये अनुज्ञप्तिधारी के सम्मिलित करते हुए)} (पुनरीक्षण—प्रथम) विनियम, 2025 के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण (मूल संस्करण) के संबंधित प्रावधानों में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जावेगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

आयोग के आदेशानुसार
(डॉ. उमाकांत पांडा)
आयोग सचिव

अनुलग्नक–1 (देखें विनियम 5.1)

वितरण अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन प्रपत्र (Application Form for Grant of Distribution Licence)

आवेदक क्रमांक ....

प्रकरण क्रमांक (आयोग कार्यालय द्वारा भरा जाए)

विषय :

आवेदक का नाम जिसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अधीन विद्युत के वितरण हेतु अनुमति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है :

आवेदक संबंधी विवरण (Particulars of Applicant)

1. आवेदक का नाम :
2. निगमन (incorporation) का प्ररुप, यदि कोई हो :
3. पता :
4. संपर्क व्यक्ति (contact person) का नाम पदनाम तथा पता :
5. सम्पर्क दूरभाष संख्या :
6. फैक्स संख्या :
7. ई–मेल आईडी :
8. निगमन / पंजीकरण (Incorporation/Registration) का स्थान :
9. निगमन / पंजीकरण का वर्ष :
10. भौगोलिक क्षेत्र जिसके अन्तर्गत आवेदक विद्युत वितरण का दायित्व प्राप्त करने का इच्छुक है :
11. निम्न प्रलेख संलग्न किये जाते हैं :

    क) पंजीकरण / निगमन का प्रमाण–पत्र :

    ख) कारोबार / व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण–पत्र:

    ग) संस्था के बहिर्नियम (Memorandum of Association) तथा संस्था के अन्तर्नियम (Articles of Association) की प्रतिलिपि :

    घ) हस्ताक्षरकर्ता का मूल अधिकार पत्र (Power of Attorney) की प्रतिलिपि, आवेदक या प्रोत्साहक (प्रोमोटर) को प्रतिबद्ध करने हेतु :

    ङ) आयकर पंजीकरण संबंधी विवरण :

    च) प्रारुप अनुज्ञप्ति (Draft Licence) :

    छ) इन विनियमों के विनियम 5.2 तथा 5.3 में उल्लेखित समस्त प्रलेख (Documents) :

आवेदक के वित्तीय आंकड़ों (Financial Data) के विवरण

12. निवल (शुद्ध) मूल्य (भारतीय रूपये के बराबर–प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित करें) ठीक पिछले 5 (पांच) वर्ष हेतु (प्रयोज्य वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें) :

(DD/MM/YY) से (DD/MM/YY तक	घरेलू मुद्रा (Home Currency) में	उपयोग की गई विनिमय दर (Exchange Rate)	भारतीय रूपये के बराबर मूल्य

उपरोक्त जानकारी के समर्थन में वार्षिक प्रतिवेदनों या प्रमाणित अंकेक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

13. वार्षिक क्रय–विक्रय (Annual Turn Over) भारतीय रूपये के बराबर प्रत्येक वर्ष के अन्त में प्रचलित विनिमय दर के अनुसार परिवर्तित करें) ठीक पिछले 5 (पांच) वर्ष हेतु (प्रयोज्य वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें) :

(DD/MM/YY) से (DD/MM/YY तक	घरेलू मुद्रा (Home Currency) में	उपयोग की गई विनिमय दर (Exchange Rate)	भारतीय रूपये के बराबर मूल्य

उपरोक्त जानकारी के समर्थन में वार्षिक प्रतिवेदनों या प्रमाणित अंकेक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

14. क्रेडिट रेटिंग (Credit Rating) का प्रमाण–पत्र :

15. मानक उधार खाता (Standard Borrowal Account) का प्रमाण पत्र :

16. इस आशय का प्रमाण–पत्र कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन को 'इरादतन चूककर्ता (wilful defaulter)' घोषित नहीं किया गया है :

17. क) क्या आवेदक प्रस्तावित विद्युत वितरण हेतु पूर्ण रूप से स्वयं अपने तुलन–पत्र (balance sheet) से ही वित्त–प्रबन्धन (financing) करेगा :

(ख) यदि हां, तो आवेदक से प्राप्त होने वाली पूंजी (equity) की राशि :

(एक) राशि :

(दो) प्रतिशत :

18. यदि आवेदक किसी अन्य अभिकरण (एजेन्सी) से पूंजी (equity) हेतु गठबन्धन (tie-up) किया जाना प्रस्तावित करता हो, तो उक्त अभिकरण का नाम तथा पता :

(क) अन्य अभिकरण के संदर्भ व्यक्ति (reference person) का नाम, पदनाम, तथा पता :

(ख) सम्पर्क दूरभाष संख्या :

(ग) फेक्स क्रमांक :

(घ) ई–मेल आईडी :

(ङ) अन्य अभिकरण से प्राप्त होने वाली प्रस्तावित पूंजी (equity) :

(एक) राशि :

(दो) कुल पूंजी का प्रतिशत :

(तीन) मुद्रा जिसके अन्तर्गत पूंजी प्रस्तावित है :

(च) पूंजी में सहभागिता बाबत आवेदक से संबद्ध होने संबंधी अन्य अभिकरण का सहमति पत्र (consent letter) संलग्न करें :

(छ) आवेदक तथा अन्य अभिकरण के मध्य गठबन्धन (tie-up) की प्रकृति (nature) :

19. वितरण गतिविधि हेतु प्रस्तावित ऋण (debt) संबंधी विवरण :

(क) ऋणदाताओं (lenders) संबंधी विवरण :

(ख) विभिन्न ऋण प्रदाताओं से स्त्रोत की राशि :

20. आवेदक की सक्षमता (competence) :

(आवेदक का मूल कारोबार गतिविधियों (Core Business Activities), सामान्य रूप से विद्युत क्षेत्र में तथा विशेष रूप से विद्युत वितरण क्षेत्र के बारे में विवरण प्रस्तुत करें)

21. आवेदक की संठनात्मक (Organisational) तथा प्रबन्धकीय सुयोग्यता (Managerial Competence) :

{आवेदक को विनियमों (Regulations) के अनुसार अपनी संगठनात्मक एवं प्रबन्धकीय सक्षमता का प्रमाण प्रस्तावित संगठनात्मक, संरचना (Organisational Structure) एवं प्रबन्धकीय सुयोग्यता (managerial capability) के रूप में, विभिन्न कार्यपालकों (executives) के जीवनवृत्त (curriculam vitae), प्रस्तावित कार्यालय (proposed office) तथा संचार सुविधाएं (communication facilities) आदि दर्शाते हुए प्रस्तुत करना होगा)}

22. दृष्टिकोण एवं क्रियाविधि (Approach and Methodology)

{इसके अन्तर्गत आवेदक को स्वयं की वितरण प्रणाली (Distribution System) की स्थापना हेतु अपना दृष्टिकोण तथा क्रियाविधि तथा विद्युत वितरण के बारोबार के संचालन के बारे में, जैसा कि वह अनुज्ञप्ति प्रदान किये जाने पर प्रस्तावित करता हो, वर्णन प्रगस्तुत करना होगा। इसके अन्तर्गत, उसके द्वारा प्रथम वर्ष के दौरान विद्युत वितरण कारोबार के संचालन के बारे में तथा आगामी पांच वर्षों के दौरान कथित कारोबार के बारे में भविष्यगामी योजनाओं (future plans) का वर्णन सम्मिलित किया जाएगा)}

23. भविष्यगामी कारोबार के बारे में आवेदक के आंकड़े (Data relating to the applicants future business)

क) प्रस्तावित अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत विद्युत के वितरण हेतु 5–वर्षीय व्यवसाय योजना (Business Plan) जिस हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है तथा दायित्वों के निर्वहन हेतु वित्तीय प्रबन्धन व्यवस्थाएं जो भविष्यगामी भार वृद्धि हेतु संधारण, संचालन, सुधार तथा विस्तार के बारे में होगी, प्रस्तुत करें।

ख) लागतों, विक्रयों, राजस्वों तथा परियोजना के वित्तीय प्रबन्धन के बारे में 5 वर्षीय वार्षिक पुर्वानुमान जो आंकड़ों के आधारभूत पूर्वानुमान के बारे में हों, प्रस्तुत करें।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान : दिनांक ....

अनुलग्नक–2 {देखें विनियम 2(छ)}

विद्युत वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय का क्षेत्र

(Area of Distribution and Retail supply)

1. मध्यप्रदेश राज्य में (***) वृत्त/जिले या अपेक्षाकृत कम क्षेत्र .... भूमि क्षेत्रफल जैसा कि राज्य शासन द्वारा संलग्न मानचित्र के अनुसार अधिसूचित किया जाए :

2. अनुज्ञप्तिधारी को अधिनियम की धारा 15(2)(ii) द्वारा अधिरोपित शर्तों का अनुपालन करना होगा।